प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम, 2004

(मध्याह्न भोजन योजना)

दिशा–निर्देश

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग)
भारत सरकार
दिसम्बर, 2004

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
Nati... ...tute of Educational
Pla... ...d ...dministration.
17-... ...do Marg,
New ... 10016
DOC. No ...D-12757
Date

विषय सूची

1 पृष्ठभूमि 1

1.1 कुपोषण तथा प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण पर इसका प्रभाव 1

1.2 प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना), 1995 1

1.2.1 प्रस्तावना 1

1.2.2 केन्द्रीय सहायता की पद्धति 2

1.2.3 पकाने की लागत 2

1.2.4 माध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए बुनियादी सुविधाएं 3

1.2.5 पका हुआ भोजन परोसने का स्तर (अक्तूबर, 2004 के अनुसार) 3

2. योजना में संशोधन की आवश्यकता 4

3. संशोधित योजना 4

3.1 उद्देश्य 4

3.2 कार्यक्रम हस्तक्षेप एवं कवरेज 4

3.3 कार्यक्रम का समग्र उत्तरदाइत्व 5

3.4 केन्द्रीय सहायता के घटक एवं मानदंड 5

3.5 कार्यक्रम प्रबंध 6

3.5.1 व्यय के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशिष्ट मानदंडों का निर्धारण 6

3.5.2 राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में नोडल विभाग 7

3.5.3 जिला स्तर पर नोडल जिम्मेदारी 7

3.5.4 स्थानीय स्तर पर प्रबंधन 7

3.5.5 राज्यों, जिलों और स्कूलों को अनाज का आवंटन और उसका उठान 8

3.5.6 भारतीय खाद्य निगम से अच्छी गुणवत्ता वाले अनाज की समय पर आपूर्ति 8

3.5.7 परिचालन-सह-मॉनीटरन समितियाँ 9

3.5.8 अनाज के परिवहन हेतु नोडल एजेंसी/एजेंसियों को पदनामित करना 9

3.5.9 अच्छी गुणवत्ता के पके हुए भोजन की नियमित, निर्बाध व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-विशिष्ट दिशा-निर्देश 10

3.6 वे दिनांक जिनसे कतिपय संशोधन प्रभावी होंगेः- 11

4. कतिपय अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश 11

4.1 मध्याह्न भोजन तैयार करने में सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता 11

4.2 मध्याह्न भोजन का शिक्षण-अध्ययन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ना 12

4.3 मध्याह्न भोजन का पौष्टिक तथा परिवर्तनशील होना 12

4.4 मध्याहन भोजन के लिए स्वैच्छिक समुदाय सहायता को प्रोत्साहित किया जाना 12

4.5 बच्चों में स्वास्थ्यवर्धक आदतें, अनुशासन तथा समानता की भावना पैदा करने के लिए मध्याह्न भोजन का उपयोग एक उपाय के रूप में करना और इसके अलावा उनमें कार्य अनुभव प्रदान करना 13

4.6 मध्याह्न भोजन का उपभोग सूक्ष्मपोषी सम्पूरण तथा कृमि रहित बनाने के लिए करना 13
4.7 कार्यक्रम कार्यान्वयन की नियमित मॉनीटरींग तथा इसका प्रभाव 14
4.8 मध्याह्न भोजन के लिए राज्य के अपने बजट आबंटन को बजट अनुमान, 2004-05 से कम नहीं किया जाना 16
5 केन्द्रीय सहायता के दावे तथा निर्मुक्ति से संबंधित अन्तरिम दिशा-निर्देश तथा प्रक्रिया 16
5.1 निःशुल्क खाद्यान्न तथा परिवहन आर्थिक सहायता 16
5.2 भोजन पकाने संबंधी लागत हेतु केन्द्रीय सहायता 17
5.3 प्रबंधन, मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन 18
5.4 सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ग्रीष्मावकाश में मध्याह्न भोजन 18
6. आवधिक ब्यौरा 19
7. उपयोगिता प्रमाण-पत्र 19

संलग्नक

संलग्नक-I प्रारंभिक स्कूल जाने वाले बच्चों की आयु वर्ग के बच्चों में पोषण सम्बन्धी कमियों का होना 20
संलग्नक-II पर्वतीय परिवहन सहायता के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का दिनांक 10.6.1999 का कार्यालय ज्ञापन 22
संलग्नक-IIए पर्वतीय परिवहन सहायता के संबंध में खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का दि. 29.4.99 का कार्यालय ज्ञापन 28
संलग्नक-III प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत मध्याह्न भोजन योजना के लिए न्युनतम निर्धारण के संबंध में योजना आयोग का दिनांक 19.12.03 का परिपत्र 29
संलग्नक-IV प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, 2004-05 के अन्तर्गत राज्यवार आबंब्न दर्शाने वाला विवरण 31
संलग्नक-V केंद्र प्रायोजित ऐसी योजनाओं का ब्यौरा जिनके तहत किचन शैड, पेयजल व्यवस्था तथा बर्तनों आदि के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं 33
संलग्नक-VI मध्याह्न भोजन योजना के तहत वर्ष 2004-05 के दौरान शामिल किये गये बच्चों की राज्यवार संख्या तथा आबंटित खाद्यान्नों की मात्रा को दर्शाने वाले विवरण 34
संलग्नक-VII मघ्याह्न भोजन के संबंध में महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी घोषणाओं के उद्धरण 36
संलग्नक-VIII 100 ग्राम गेहूँ/चावल/चपाती का पोषण मूल्य 37
संलग्नक-IX मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठनों को सहायता देने संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश 38
संलग्नक-X मध्याह्न भोजन योजना के तहत अच्छी कोटि के खाद्यान्न प्रदान करने के संबंध में भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने क्षेत्रीय

	प्रबंधको को जारी किया गया दिनांक 4.5.99 का पत्र	40
संलग्नक–XI	प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम के लिए विभिन्न स्तरों पर गठित की जाने वाली संचालन एवं मानीटरिंग समितियों का प्रस्तावित गठन	42
संलग्नक–XIII	पोषक तथा किफायती मध्याह्न भोजन को तैयार करने के लिए कुछ सुझाव	44

प्रपत्र

प्रपत्र–I	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा खाद्यान्नों के आबंटन के लिए अनुरोध	48
प्रपत्र–II	खाद्यान्नों के मासिक–उठान की रिपोर्ट	49
प्रपत्र–III	खाद्यान्नों को लाने–ले जाने पर किए गए खर्च कि प्रतिपूर्ति के लिए अनुरोध	50
प्रपत्र–IV	कुकिंग लागत को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सहायता की पहली किस्त जारी करने के लिए अनुरोध	52
प्रपत्र–V	ग्रीष्मावकाश के दौरान सूखा–प्रभावित क्षेत्रों में पका–पकाया मध्याह्न भोजन प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध	56
प्रपत्र–VI	त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट	57
प्रपत्र–VII	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान उठाए गए खाद्यान्नों के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र	58
प्रपत्र–VIII	(i) कुकिंग लागत, तथा (i) प्रबंध, मानीटरिंग तथा मूल्यांकन पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए प्राप्त केंद्रीय सहायता के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र	63

प्राथमिक शिक्षा का
राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम, 2004
(मध्याह्न भोजन योजना)

1. पृष्ठभूमि

1.1 कुपोषण तथा प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण पर इसका प्रभाव

भारत में विकसित होते बच्चों में कुपोषण व्यापक रूप से फैला हुआ है। पोषाहार संबंधी प्रमुख कमियों तथा प्रारंभिक शिक्षा हेतु स्कूल जाने वाले बच्चों पर उनके प्रभाव के संबंध में कुछ ब्यौरा **संलग्नक–I** में दिया गया है।

कुपोषण से न केवल रूग्णता तथा नश्वरता को बढ़ावा मिलता है व इससे बालक पूरी तरह से प्रौढ़ के रूप में विकसित नहीं हो पाता, बल्कि यह निम्नलिखित तरीकों से प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है:–

- कुपोषित बच्चा संभवतः कम ही नियमित रूप से स्कूल जाता है।
- यदि ऐसा बच्चा स्कूल जाता भी है तो उसे ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस होती है तथा वह शिक्षण–अध्ययन गतिविधियों में पर्याप्त रूप से भाग नहीं ले पाता। अतः वह अध्ययन बीच में ही छोड़ देता है और साथ ही साथ वह इसका सामना करने में भी असमर्थ हो जाता है।
- यदि बच्चा वास्तव में अध्ययन बीच में नहीं भी छोड़ता तो भी उसके उपलब्धि स्तरों में निम्नता आती है।

प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के कार्य में स्कूलों में मध्याह्न भोजन प्रदान करने वाला एक कार्यक्रम निम्नलिखित प्रकार से सहायक हो सकता है:–

- नामांकन तथा उपस्थिति की नियमितता में सुधार करके,
- अध्ययन बीच में छोड़ जाने वालों की संख्या में कमी करके, और
- बच्चों के अध्ययन स्तर तथा आत्म–विश्वास में सुधार करके।

1.2 प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना), 1995

1.2.1 प्रस्तावना

प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना के नाम से सुविदित) 15 अगस्त, 1995 को एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ''नामांकन, अवधारण तथा उपस्थिति में वृद्धि करके और साथ ही साथ प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के पोषण स्तर को बढ़ाकर प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण'' को प्रोत्साहित करना है। इसे प्रथम वर्ष में 2408 ब्लाकों में कार्यान्वित किया गया था और वर्ष 1997–98 तक चरणबद्ध तरीके से पूरे देश को इसमें शामिल किया गया। इस कार्यक्रम में मूल रूप से सरकारी, स्थानीय निकाय तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक स्तर (कक्षा–I से V) के बच्चों को शामिल किया गया और अक्तूबर, 2002 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चों को शामिल करने के लिए किया गया था।

1.2.2 केन्द्रीय सहायता की पद्धति

इस कार्यक्रम के तहत राज्यों को निम्नलिखित तरीके से केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है:–

i) भारतीय खाद्य निगम के निकटतम गोदाम से 100 ग्राम गेहूँ/चावल प्रति छात्र प्रति दिवस की दर से खाद्यान्नों को निःशुल्क आपूर्ति (जिसकी लागत की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को की जाती है), और

ii) अधिकतम 50 रू. प्रति क्विंटल की सीमा तक (जून, 1997 में पिछली बार अधिकतम सीमा निर्धारित की गई) निकटतम डिपो से प्राथमिक स्कूल को खाद्यानों के परिवहन हेतु आर्थिक सहायता।

इसके अतिरिक्त, उन राज्यों के लिए पर्वतीय परिवहन सहायता भी स्वीकार्य है जो मुख्यतः पर्वतीय हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और जहां रेल सुविधाओं की कमी है, जैसे अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम तथा त्रिपुरा। पर्वतीय राज्यों में भारतीय खाद्य निगम की जिम्मेवारी निकटतम पदनामित प्रधान वितरण केन्द्रों तक खाद्यान्नों की डिलीवरी की है। पर्वतीय परिवहन सहायता के अनुदेशों के अनुसार, यदि भारतीय खाद्य निगम प्रधान वितरण केन्द्रों तक खाद्यान्न की डिलीवरी करने में असमर्थ है तो वह निकटतम पदनामित बेस डिपो से खाद्यान्न जारी करेगा। ऐसे मामलों में, बेस डिपो से प्रधान वितरण केन्द्र को खाद्यान्नों के परिवहन की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति भारतीय खाद्य निगम राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को पर्वतीय परिवहन सहायता के रूप में करता है।

पर्वतीय परिवहन सहायता के संबंध में विस्तृत अनुदेश इस मंत्रालय के दिनांक 10.6.1999 के परिपत्र में निहित हैं जिसकी एक प्रति **संलग्नक–II** में संलग्न है। यह परिपत्र खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा दिनांक 29.4.99 के उनके कार्यालय ज्ञापन के अन्तर्गत सूचित उनकी सहमति के द्वारा जारी किया गया था जिसकी एक प्रति **संलग्नक–II–क** में संलग्न है।

1.2.3 पकाने की लगात

उपर्युक्त अनुसार उपलब्ध कराए गए निःशुल्क खाद्यान्नों से मध्याह्न भोजन ''पकाने की लगात'' में मख्यतः निम्नलिखित शामिल हैं:–

i) अन्य अवयवों की लागत, जैसे दालें, सब्जियां, पकाने वाला तेल तथा मसाले

ii) ईंधन की लगात, और

iii) कार्मिक को देय दिहाड़ी/पारिश्रमिक अथवा पकाने के लिए उत्तरदायी एजेंसी (उदाहाणार्थ, एसएचजी, वाईसी/एसएमडीसी) को देय राशि।

अगस्त, 1995 में जारी किए गए योजना के दिशानिर्देशों में यह उल्लेख किया गया था कि रसोइयों का पारिश्रमिक ग्रामीण विकास मंत्रालय की निर्धनता उप–शमन योजना (जवाहर रोजगार योजना) से वहन किया जाएगा। तथापि, 1.4.99 से जवाहर रोजगार योजना के संशोधन के साथ यह अनुमत्य नहीं रह गया और पकाने की संपूर्ण लागत को वहन करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों को सौंप दी गई।

अधिसंख्य राज्य पकाने की लागत को वहन करने और अपने छात्रों को पका भोजन प्रदान करने में वित्तीय कठिनाइयों का सामना करते रहे और तदनुसार उन्होंने केवल 3 कि.ग्रा. प्रति छात्र प्रति मास खाद्यान्न वितरित किया, जैसा कि दिशानिर्देशों के पैरा-12 में एक अन्तरिम उपाय के रूप में परिकल्पना की गई। इस स्थिति में सुधार के लिए, योजना आयोग ने दिसम्बर, 2003 में राज्य सरकारों से कहा कि वे मध्याह्न भोजन योजना के तहत पकाने की लागत वहन करने के लिए वित्तीय वर्ष 2004-05 से प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का कम से कम 15प्रतिशत अलग से निर्धारित करें। इस संबंध में दिनांक 19.12.03 के योजना आयोग के परिपत्र की एक प्रति और वर्ष 2004-05 के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत राज्यवार आवंटन दर्शाने वाला एक विवरण क्रमशः **संलग्नक-III** व **IV** में संलग्न है।

1.2.4 माध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए बुनियादी सुविधाएं

पका हुआ मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित बुनियादी भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता है:-

- रसोई एवं स्टोर
- निम्न हेतु पर्याप्त जल आपूर्ति
  - पीने, तथा
  - धुलाई के लिए
- पकाने के उपकरण (स्टोव, चूल्हा आदि)
- खाद्यान्नों तथा अन्य अवयवों के भंडारण हेतु कन्टेनर
- पकाने तथा परोसने हेतु बर्तन (बच्चे अपनी प्लेटें/खाने के बर्तन स्वयं लायेंगे।

यह अपेक्षा की गई थी कि उपयुर्क्त बुनियादी सुविधाएं राज्यों/स्थानीय निकायों द्वारा विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत उपलब्ध निधियों के साथ-साथ उनकी स्वयं की निधियों का उपयोग करके प्रदान की जाएंगी। इसका ब्यौरा **संलग्नक-IV** में दिया गया है।

1.2.5.पका हुआ भोजन परोसने का स्तर (अक्तूबर, 2004 के अनुसार)

अक्तूबर, 2004 की स्थिति के अनुसार पके भोजन की आपूर्ति की राज्यवार स्थिति निम्न प्रकार थी:-

(i)	**पूर्ण कार्यान्वयन-**	**22 राज्य तथा**
	(अर्थात पका हुआ भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी बच्चों को शामिल किया गया अथवा कम से कम पूर्ण सहभागिता हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया)	सभी 7 संघ राज्य क्षेत्र
(ii)	**आंशिक कार्यान्वयन-**	**6 राज्य**

वर्ष 2004-05 के दौरान शामिल किए गए बच्चों की राज्यवार संख्या और आवंटित खाद्यान्नों की मात्रा **संलग्नक-VI** में दी गई है।

2. योजना में संशोधन की आवश्यकता

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम, 1995 के शुरू होने के 9 वर्ष बाद भी पका भोजन परोसने को कुछ प्रमुख राज्यों सहित 6 राज्यों में सुलभ नहीं कराया जा सका। शेष अनके राज्यों में बच्चों को परोसे गये भोजन की गुणवत्ता संतोषप्रद नहीं थी। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुये इस योजना में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस मामले पर गौर किया और इस संबंध में डब्ल्यू. पी. (सी.) 196/2001 (पीयूसीएल बनाम भारत संघ तथा अन्य) में समय-यमय पर पारति अपने आदेशों में कतिपय दिशा-निर्देश देता रहा है।

जून-जुलाई, 2004 में मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में कतिपय नीतिगत उद्घोषणाएं की गई थी जो इस प्रकार हैं:-

दिनांक 7.6.04 को राष्ट्रपति जी का संसंद को उद्बोधन, और

वित्त मंत्री द्वारा 8.7.04 को दिया गया बजट भाषण।

उपर्युक्त उद्घोषणाओं से संबद्ध सार को **संलग्नक-VII** में देखा जा सकता है।

3. संशोधित योजना

उपर्युक्त के अनुसरण में केन्द्र सरकार ने ''प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम, 2004 (NP-NSPE, 2004)'' नामक संशोधित योजना को मंजूरी दी है, जिसके मुख्य अवयव निम्नलिखित हैः-

3.1 उद्देश्य

संशोधित योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैः-

(i) बच्चों, खासकर वंचित वर्गो के बच्चों के नामांकन, उपस्थिति, अवधारण तथा अधिगम स्तर में सुधार लाकर प्राथमिक शिक्षा (कक्षा I-V) के सर्वसुलभीकरण को गति प्रदान करना।

(ii) प्राथमिक स्तर के छात्रों के पोषण स्तर में सुधार लाना, और

(iii) ग्रीष्मावकाश के दौरान भी सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषण सहायता प्रदान करना।

3.2 कार्यक्रम हस्तक्षेप एवं कवरेज

उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित स्कूलों के कक्षा I-V में अध्ययनरत सभी बच्चों को न्यूनतम 300 कैलोरी तथा 8-12 ग्राम प्रोटीन युक्त पका हुआ भोजन प्रदान किया जाएगाः-

(i) सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहयात प्राप्त स्कूल; और

(ii) शिक्षा गारंटी योजना एवं वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्र।

स्पष्टीकरणः-

1. *''सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल'' का आशय केन्द्र या राज्य सरकार या सक्षम स्थानीय निकाय से नियमित वार्षिक आवर्ती आर्थिक सहायता पाने वाले अथवा इनके द्वारा मान्यता प्राप्त/''सहायता प्राप्त स्कूल'' के रूप में वर्गीकृत स्कूल से है।*

(4) प्रबंधन, मानीटरिंग एवं मूल्यांकन (एमएमई) के लिए सहायता जो वर्ष 2004-05 हेतु उपर्युक्त मद 1-3 के लिए कुल सहायता राशि के 0.9प्रतिशत से कम न हो तथा वर्ष 2005-06 से ऐसी कुल सहायता के 1.8 प्रतिशत की दर से कम नहीं होगी। (एमएमई के मद पर योजना में कुल प्रावधान शेष मदों पर आबंटन की दर से होगा। केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच 2प्रतिशत के इस वास्तविक विभाजन के बारे में निर्णय राज्य सरकारों के उपयुक्त न्यूनतम शेयर के अधीन रहते हुए राष्ट्र स्तरीय सह मानीटरिंग समिति द्वारा लिया जाएगा)।

(5) सरकार द्वारा "सूखा ग्रस्त क्षेत्र" के रूप में घोषित इलाकें में विद्यमान पैरामीटरों के अनुसार स्कूली बच्चों को ग्रीष्मावकाश के दौरान पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए सहायता।

(यह सहायता एन0पी0-एन0एस0पी0ई0, 1995 के पैरा मीटरों के अनुसार ऐसे राज्यों को प्रतिपूर्ति आधार पर दी जाएगी जिन्होंने 2004 के ग्रीष्मावकाश के दौरान इस घटक को लागू किया हो)।

प्रति बच्चा प्रतिदिन की दृष्टि से उपर्युक्त मद 1-4 के तहत केन्द्रीय सहायता का औसत राजकोषीय मान नीचे दर्शाया गया है:-

(रूपये में)

क्रम संख्या	मद	प्रति बच्चा/स्कूल दिवस की दृष्टि से केन्द्रीय सहायता
1.	खाद्यान्न की औसत (मितव्ययी) लागत (आपूर्ति किए जा रहे गेहूँ एवं चावल का औसत वजन)	1.11
2.	औसत परिवहन सब्सिडी	0.08
3.	पकाने की लागत हेतु सहायता	1.00
4.	प्रबंधन, मानीटरिंग एवं मूल्यांकन हेतु सहायता	0.02
	कुल	**2.21**

उपर्युक्त के अलावा विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत अवसंरचना मदों हेतु केन्द्रीय सहायता की उपलब्धता बनी रहेगी, जैसा कि **संलग्नक-V** मे दर्शाया गया है।

100 ग्राम गेंहूँ, चावल एवं चपाती के पोषण मान को दर्शाने वाला विवरण **संलग्नक-VIII** में दिया गया है।

3.5 कार्यक्रम प्रबंध

3.5.1 व्यय के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशिष्ट मानदंडों का निर्धारण

उपर्युक्त पैरा 3.4 में यथा-उल्लिखित एन0पी0-एन0एस0पी0ई0, 2004 के तहत उपलब्ध केन्द्रीय सहायता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से यह अपेक्षा होगी कि वे योजना पर व्यय का अपना स्वयं का मानदंड निर्धारित करें एवं अधिसूचित करें जिसके अनुसार वह कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु स्थानीय कार्यान्वयन एजेंसी (उदाहरणार्थ वी.ई0सी0/

पी०टी०ए०/एन०जी०ओ०/सहायता प्राप्त स्कूल का प्रबंधन) को निधियों का आबंटन करेगा। इसके बाद उन्हें आगे ''राज्य मानदंड'' कहा गया है।

3.5.2 राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में नोडल विभाग

प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा कार्यक्रम के लिए नोडल विभाग के रूप में अपने किसी एक विभाग को नामित किया जाएगा। यह आवश्यक नहीं है कि नोडल विभाग स्कूल शिक्षा विभाग ही हो किन्तु इसका चयन इस रूप में होना चाहिए कि यह पूरे राज्य में कार्यक्रम के कारगर कार्यान्वयन की केन्द्रीय जिम्मेदारी को सर्वाधिक दक्षतापूर्ण ढंग से वहन कर सके। (अनके राज्यों ने स्कूल शिक्षा विभाग से इतर विभागों उदाहरणार्थ ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण आदि जैसे विभागों को कार्यक्रम के लिए नोडल विभाग के रूप में नामित किया है।)

यदि आवश्यक हो, राज्य इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए एम०एम०ई० के लिए निर्धारित धन राशि के कुछ भाग का प्रयोग करके एक छोटा सा कियान्वयन प्रकोष्ठ स्थापित कर सकता है, जो राज्य नोडल विभाग से संबद्ध होगा।

3.5.3 जिला स्तर पर नोडल जिम्मेदारी

प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से यह भी अपेक्षा होगी कि वे जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी या एजेंसी (उदाहरणार्थ जिला कलेक्टर, जिला पंचायत आदि) नामित करें जिसे जिला स्तर पर कार्यक्रम के कारगर कार्यान्वयन की समूची जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

3.5.4 स्थानीय स्तर पर प्रबंधन

स्थानीय स्तर पर राज्य सरकारों से यह अपेक्षा होगी कि वे किसी उपयुक्त निकाय उदाहरणार्थ ग्राम पंचायत, नगर पालिका, ग्राम शिक्षा समिति, अभिभावक शिक्षक संघ या स्कूल प्रबंध-सह-विकास समिति को कार्यक्रम के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपे। पकाने की जिम्मेदारी यथासंभव स्थानीय एवं सहायता समूह, नेहरू युवा केन्द्र से संबद्ध युवा क्लब, ग्राम शिक्षा समिति, एसएमडीसी,पीटीए/एमटीए अथवा जहां कहीं उपलब्ध हो अच्छे गैर-सरकारी संगठन को सौंपी जाएगी। जहाँ महिला एसएचजी उपलब्ध नहीं है और ग्राम शिक्षा समिति/एसएमडीसी, पीटीए, युवा क्लब अथवा गैर-सरकारी संगठन को कुक, हैल्पर आदि जैसे अंशकालीन स्टॉफ की नियुक्ति करते हुए इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करना होता है ऐसे मामलों में जहां तक संभव हो, राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को यथोचित वरीयता देते हुए यह स्टॉफ महिलाओं का होना चाहिए। ऐसे संगठनों को इस योजना के पैरामीटरों और राज्य मानदण्डों के अनुसार अन्य लागतों (ऊपर पैरा 3.5.1 देखें) के अनुसार खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा ताकि वे नियत स्कूल/क्षेत्र में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित कर सकें।

शहरी क्षेत्रों में, जहां स्कूलों के एक समूह के लिए केन्द्रीकृत रसोई व्यवस्था सम्भव हो, भोजन पकाने का कार्य उपयुक्त स्थान पर एक केन्द्रीकृत रसोई में किया जाए और फिर पके हुए गर्म भोजन को एक विश्वसनीय परिवहन व्यवस्था के माध्यम से स्वास्थ्यप्रद स्थितियों में विभिन्न स्कूलों तक ले जाया जाए। एक शहरी क्षेत्र में ऐसी एक या अधिक नोडल रसोइयां हो सकती हैं जो उनके सेवा-क्षेत्र के क्लस्टरों की संख्या पर निर्भर करता हैं। हैदराबाद-सिंकदराबाद में नाँदी फाउंडेशन और बंगलौर में इस्कॉन इस पद्धति के उदाहरण है, जिनमें से प्रत्येक स्कूलों के एक बड़े क्लस्टर के लिए किचन का संचालन करता है तथापि, क्लस्टर सुविधानुसार ज्यादा छोटे आकार के हो सकते है।

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में गैर-सरकारी संगठनों को सहयोजित करने हेतु दिशा-निर्देश **संलग्नक-IX** में दिए गए हैं।

3.5.5 राज्यों, जिलों और स्कूलों को अनाज का आवंटन और उसका उठान

(i) पूर्ववर्ती 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार तथा आगामी वित्त वर्ष में प्रत्याशित नामांकन के आधार पर पात्र प्राथमिक स्कूलों और शिक्षा गांरटी योजना/वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्रों के नामांकन आँकड़ों के आधार पर नोडल विभाग इस मंत्रालय को प्रतिवर्ष 15 जनवरी तक अनाज के आवंटन के लिए **प्रारूप-1** में जिला-वार अनुरोध प्रस्तुत करेगा।

(ii) उपर्युक्त के आधार पर मंत्रालय अगले वित्तीय वर्ष के लिए अनाज के जिलावार आवंटनों की सूचना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और भारतीय खाद्य निगम को 28 फरवरी तक देगा।

(iii) राज्य नोडल विभाग अगले वित्तीय वर्ष के लिए जिला वार आवंटन की सूचना कलक्टरों/जिला नोडल एजेंसियों को 15 मार्च तक देगा।

(iv) कलक्टर/जिला नोडल एजेंसी वर्ष के लिए जिला आवंटन में से मध्याह्न भोजन पकाने/आपूर्ति हेतु अभिज्ञात प्रत्येक स्कूल/एजेंसी को उसकी पात्रता के अनुसार मासिक आधार पर उप-आवंटन करेंगे और भारतीय खाद्य निगम के सम्बन्धित अधिकारियों को भी सूचित करेंगे। मासिक ब्यौरा महीने में स्कूल-दिवसों की वास्तविक संख्या को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा।

(v) आवंटित अनाज को नीचे पैरा 3.5.8 में उल्लिखित एजेंसी द्वारा भारतीय खाद्य निगम के निकटतम गोदाम से उठाया जाएगा और प्रत्येक स्कूल आदि तक पहुँचाया जाएगा। इस प्रक्रिया को आवृत्ति सामान्यतः माह में एक बार हो सकती हैं, किंतु स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार जैसा भी उपयुक्त समझे, यह त्रैमासिक आदि भी हो सकती है।

(vi) नोडल विभाग के ब्लॉक/उपखण्ड स्तरीय अधिकारी प्रत्येक संस्थान को सुपुर्द किए गए अनाज के वास्तविक उपयोग की निगरानी करेंगे और उपयोग में न लाये गये शेष, यदि कोई हो तो ध्यान में रखते हुए अगली सुपुर्दगी को यथोचत रूप हो नियमित करेंगे। इस संबंध में राज्य सरकारें विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेंगी।

3.5.6 भारतीय खाद्य निगम से अच्छी गुणवत्ता वाले अनाज की समय पर आपूर्ति

यह सुनिश्चित करना भारतीय खाद्य निगम की जिम्मेदारी होगी कि इसके भण्डारों में (पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में प्रधान वितरण केन्द्रों में) सतत् रूप से पर्याप्त अनाज उपलब्ध रहे। यह किसी माह/तिमाही के लिए एक महीने पहले तक अनाज उठाने की छूट देगा ताकि अनाज आपूर्ति में व्यवधान न आए।

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए भारतीय खाद्य निगम सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध गुणवत्ता का अनाज देगा जो किसी भी मामले में कम-से-कम उत्तम औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) वाला हो।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ मध्याह्न भोजन के तहत जारी किए जाने वाले अनाज की गुणवत्ता के सम्बंध में अपने क्षेत्रीय प्रबंधकों को दिनांक 4.5.1999 को जारी किए गए परिपत्र की प्रति **संलग्नक-X** में संलग्न है।

भारतीय खाद्य निगम और कलक्टर के नामिती (नामितियों) के एक दल द्वारा संयुक्त निरीक्षण और उनके द्वारा इस बात की पुष्टि किए जाने, कि अनाज के न्यूनतम औसत उत्तम गुणवत्ता के मापदण्डों को पूरा करने की पुष्टि किए जाने के पश्चात् जिला कलक्टर भी यह सुनिश्चित करेंगे कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिया गया अनाज कम-से-कम औसत उत्तम गुणवत्ता वाला है।

भारतीय खाद्य निगम अपने द्वारा आपूर्ति किए गए ऐसे अनाज के नमूने भविष्य में सत्यापन और विश्लेषण हेतु रखेगा।

3.5.7 परिचालन-सह-मॉनीटरन समितियाँ

इस कार्यक्रम के प्रबंधन और मॉनीटरन के पर्यवेक्षण हेतु चार स्तरों, अर्थात् राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर परिचालन-सह-मॉनीटरन समितियाँ गठित की जाएंगी। परिचालन-सह-मॉनीटरन समितियों की सुझाई गई संरचना **संलग्नक-XI** में दी गई है। परिचालन-सह-मॉनीटरन समितियाँ अपने अधिकार-क्षेत्रों में सामान्यतः निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेंगीः-

(i) विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों का मार्गदर्शन करना,

(ii) कार्यक्रम-कार्यान्वयन का मॉनीटरन, इसके प्रभाव का निर्धारण और सुधारात्मक कदम उठाना,

(iii) स्वतंत्र मॉनीटरन/मूल्यांकन एजेंसियों की रिपोर्टों पर कार्रवाई करना,

(iv) सम्बद्ध विभागों, एजेंसियों (उदाहरणार्थ भारतीय खाद्य निगम) और योजनाओं के मध्य समन्वय और समरूपता पैदा करना, और

(v) कार्यक्रम के लिए सामुदायिक समर्थन जुटाना और सार्वजनिक-निजी सहभागिता को बढ़ावा देना।

राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय परिचालन-सह-मॉनीटरन समितियों की छह माह में कम-से-कम एक बार तथा जिला और ब्लॉक स्तरीय परिचालन-सह-मॉनीटरन समितियों की तीन माह में कम-से-कम एक बार बैठक आयोजित करना अपेक्षित होगा।

3.5.8. अनाज के परिवहन हेतु नोडल एजेंसी/एजेंसियों को पदनामित करना

भारतीय खाद्य निगम के निकटतम डिपो से प्रत्येक प्राथमिक स्कूल/शिक्षा गारंटी योजना-वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्रों तक अनाज का परिवहन करना एक बड़ी संभारतंत्रीय जिम्मेदारी है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से निम्न प्रकार से व्यवस्थाएँ करने की अपेक्षा होगीः-

(i) जहाँ कहीं उपयुक्त हो, किसी ऐसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्था को राज्य नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया जाए जिसका राज्य व्यापी अधिकार क्षेत्र तथा नेटवर्क (उदाहरणार्थ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, राज्य सहकारी विपणन संघ आदि हो) यह एजेंसी संपूर्ण

राज्य में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से समयबद्ध रूप से अनाज के उठान और प्रत्येक स्कूल आदि को उसकी सुपुर्दगी के लिए उत्तरदायी होगी।

(ii) वैकल्पिक रूप से, अलग-अलग जिलों अथवा जिला-समूहों के लिए या तो राज्य सरकार द्वारा अथवा जिला स्तरीय नोडल एजेंसी द्वारा उपर्युक्त जिम्मेदारी अलग-अलग एजेंसियों को सौंपी जा सकती है। तथापि, ऐसी प्रत्येक एजेंसी को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अथवा जिला पंचायत जैसा सरकारी/अर्द्ध-सरकारी निकाय भी होना चाहिए।

3.5.9 अच्छी गुणवत्ता के पके हुए भोजन की नियमित, निर्बाध व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-विशिष्ट दिशा-निर्देश

यह सुनिश्चित करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक पात्र प्राथमिक स्कूल/शिक्षा गारंटी योजना-वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्र के बच्चे प्रति स्कूल-दिवस निर्बाध रूप से संतोषजनक गुणवत्ता का पका हुआ भोजन प्राप्त करें। पूरे राज्य में फैले हजारों प्राथमिक स्कूलों और शिक्षा गारंटी योजना-वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्रों में इस बात का सुनिश्चय करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करने और परिचालित करने होंगे।

पके हुए मध्याहन भोजन की नियमित आपूर्ति में आने वाली कुछ संभावित सामान्य बाधाएँ निम्नलिखित हैं:-

(i) केन्द्र से राज्यों को आर्थिक सहायता के प्रवाह में विलम्ब (उदाहरणार्थ - दावों के विलम्ब से अथवा दोषपूर्ण प्रस्तुति अथवा प्रक्रियागत विलम्बों के कारण),

(ii) भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्नों की नियमित आपूर्ति अथवा उसको स्कूलों में समय पर पहुंचाने में व्यवधान।

(iii) पकी हुई सामग्री को ठीक प्रकार से प्राप्त करने और उसको स्टाक में रखने में स्थानीय कार्यान्वयन एजेंसी की असफलता।

(iv) किसी कारणवश रसोईए की अनुपस्थिति।

कार्यक्रम को इस प्रकार कार्यान्वित करना होगा ताकि सभी उपर्युक्त आकस्मिकताओं (और कोई अन्य) का ध्यान रखा जा सके। जहां तक प्रथम बिन्दु का संबंध है राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता की वास्तविक प्रवाह के पूर्वानुमान में अपने वार्षिक बजट में कार्यक्रम के लिए उचित प्रावधान करने होंगे। इस बात को समझ लेना चाहिए कि पैरा 3.4 में दिए गए मानदंडों के अनुसार केन्द्रीय सहायता दी गई है और वह उचित समय पर हस्तांतरित की जाएगी। तथापि यदि किसी कारणवश इसके वास्तविक हस्तांतरण में कुछ विलम्ब हैं तो बच्चों के लिए पके पकाए मध्याहन भोजन के वास्तविक प्रावधान में रूकावट होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस प्रकार राज्य-विशिष्ट दिशा-निर्देश पूर्वोपाय किए जाने के संबंध में आवश्यक होंगे और वैकल्पिक प्रबंध सुनिश्चित करने होंगे ताकि किसी आकस्मिकताओं के कारण कार्यक्रम में कोई रूकावट न आए।

3.6 वे दिनांक जिनसे कतिपय संशोधन प्रभावी होंगे:-

(i)	खाना पकाने संबंधी लागत के लिए केन्द्रीय सहायता	1.9.04 (यदि पका-पकाया भोजन कार्यक्रम इस तिथि से अथवा किसी पूर्व तिथि से अन्यथा कार्यान्वयन की वास्तविक तिथि से लागू कर दिया गया हैं)
(ii)	यातायात संबंधी आर्थिक सहायता में संशोधन	1.10.04 (इस तिथि को अथवा इसके बाद लाए गए खाद्यान्नों के लिए)
(iii)	प्रबंधन, मानीटरिंग तथा मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय सहायता	1.10.2004
(iv)	ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सूखाग्रस्त क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन का प्रावधान (क) एन.पी. - एन.एस.पी.ई., 1995 के पैरामीटरों के अनुसार (ख) एन.पी. - एन.एस.पी.ई., 2004 के पैरामीटरों के अनुसार	2004 ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए 2005 के ग्रीष्मकालीन अवकाश से

4. कतिपय अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

4.1 मध्याह्न भोजन तैयार करने में सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता

राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को सुरक्षा तथा स्वास्थ्य का अत्यधिक ध्यान रखकर लागू करें। इस कार्य के लिए अन्य बातों के साथ निम्नलिखित पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

(i) किचन/किचन शेड क्लास रूम से अलग होने चाहिए, ये क्लास रूम से यथा संभव दूरी पर स्थित होने चाहिए और इनको हमेशा साफ-सुथरा रखा जाना चाहिए, भोजन पकाने का स्थान थोड़ा ऊंचा होना चाहिए और उस स्थान पर उचित रोशनी तथा हवा की व्यवस्था होनी चाहिए और गन्दे पानी के निकास के लिए नाली की व्यवस्था होनी चाहिए।

(ii) ईंधन (केरोसिन/ईंधन लकड़ी/चारकोल/एल.पी.जी.) को सुरक्षापूर्वक रखा जाना चाहिए ताकि आग न लग सके।

(iii) यथा संभव धुंआ रहित चूल्हा का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(iv) जहां तक संभव हो पर्यावरण संरक्षण के हित में लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

(v) यदि भोजन को केरोसिन/गैस से पकाया जाता है तो भोजन पकाने वाला स्टॉफ/एजेंसी को स्टोव, गैस सिलन्डर आदि का सुरक्षित उपयोग करने के संबंध में विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

(vi) भोजन पकाने के लिए प्रयोग में लाई गई सामग्री (अर्थात खाद्यान्न, दालें, सब्जियां, भोजन पकाने का तेल तथा मसाला) मिलावट तथा कीटनाशक से मुक्त होनी चाहिए। भोजन सामग्री को ठीक प्रकार से धोकर साफ किया जाना चाहिए।

(vii) सभी उपर्युक्त भोजन सामग्री को उचित बर्तनों में रखा जाना चाहिए ताकि नमी, कीड़े आदि से बची रहे।

(viii) मध्याह्न भोजन पकाने में लगे सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधी आदतों (अर्थात नाखूनों को नियमित रूप से काटना, भोजन पकाने तथा परोसने से पहले हाथ तथा पैरों को साबुन से साफ करना) से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

(ix) सभी भोजन पकाने तथा परोसने वाले बर्तनों को उचित ढ़ंग से साफ किया जाना चाहिए और प्रयोग के बाद हर रोज सुखाया जाना चाहिए।

4.2 मध्याह्न भोजन का शिक्षण–अध्ययन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ना

इन बात को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि मध्याहन भोजन का आशय स्कूलों में बच्चों की भागीदारी को बढ़ाना और प्राथमिक स्तर पर अध्ययन संबंधी स्थिति में सुधार करना है न कि कोई व्यवधान डालना। इस कार्यक्रम को इस ढ़ंग से लागू नहीं किया जाना चाहिए कि स्कूल में शिक्षण–अध्ययन के समय तथा गुणवत्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। परिणामतः शिक्षकों को निम्नलिखित के अलावा इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए।

(i) बच्चों को भोजन परोसने से पहले उसे चखना ताकि उसकी अच्छी गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके, और

(ii) मध्याहन भोजन को परोसने तथा उसकी खपत का निरीक्षण करना ताकि क्रमबद्ध ढंग से कार्य को पूरा किया जा सके और बच्चे अपना स्वास्थ्य की दृष्टि से सहीं ढंग से भोजन कर सकें।

वी.ई.सी./पी.टी.ए. को प्रबंध करने चाहिए ताकि यथा संभव उनके कम से कम दो सदस्य भोजन के समय उपस्थित रहें और शिक्षकों के साथ उपर्युक्त जिम्मेदारी को निभाएं।

मध्याहन भोजन की व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि भोजन को परोसने की प्रक्रिया में 30–40 मिनट से अधिक समय न लगे।

4.3 मध्याह्न भोजन का पौष्टिक तथा परिवर्तनशील होना

मध्याह्न भोजन की सूची को यथा संभव समय–समय पर बदलते रहना चाहिए। पौष्टिक, किफायती, परिवर्तनशील भोजन सूची तैयार की जानी चाहिए। यह कार्य स्थानीय समुदाय, मदर, पी.टी. ए., महिला स्वयं सहायता ग्रुप, गृह विज्ञान कालेज के पौष्टिक विशेषज्ञ स्टाफ तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में नियुक्त भारत सरकार के खाद्य तथा पोषण बोर्ड के अधिकारी के परामर्श से किया जाना चाहिए।

पौष्टिक तथा किफायती मध्याह्न भोजन तैयार करने के कुछ सुझाव **संलग्नक–XII** में दिए गए हैं।

4.4 मध्याहन भोजन के लिए स्वैच्छिक समुदाय सहायता को प्रोत्साहित किया जाना

समुदाय के सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और बच्चों को पौष्टिक भोजन देने की दिशा में अंशदान करने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। धार्मिक उत्सव, शादी आदि जैसे अनेक सामाजिक अवसर हैं जब स्थानीय परिवार स्कूल के मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में विशेष भोजन अथवा मीठा देने में खुश होंगे। इसके अलावा, समुदाय से अन्य स्वैच्छिक अंशदान (भोजन पकाने के बर्तन, दुग्ध उत्पाद, फल, सब्जी, आदि) को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

4.5 बच्चों में स्वास्थ्यवर्धक आदतें, अनुशासन तथा समानता की भावना पैदा करने के लिए मध्याह्न भोजन का उपयोग एक उपाय के रूप में करना और इसके अलावा उनमें कार्य अनुभव प्रदान करना

भोजन सामग्री तथा भोजन पकाने की स्वास्थ्य प्रक्रिया के अलावा यह महत्वपूर्ण है कि बच्चे स्वयं अपने भोजन को स्वस्थ ढंग से खाएं, इसके लिए उनको इस प्रकार की आदतें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(i) खाना खाने से पहले साबुन से अपने हाथ साफ करना,

(ii) अपने नाखूनों को नियमित रूप से काटना,

(iii) खाना खाने के लिए स्वच्छ बर्तनों का प्रयोग करना,

(iv) खाने को विखेरना नहीं चाहिए।

(v) अपनी प्लेट साफ करना और खाने के बाद हाथ तथा मुंह को साफ करना।

मध्याह्न भोजन को परोसने तथा खाने संबंधी कार्य को उचित ढ़ंग से किया जाना चाहिए। बच्चों को पंक्ति बनाने, अपनी बारी के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार करने, उचित ढ़ंग से अपने भोजन को चबाने तथा खाना खाने के बाद अपने हाथ तथा मुंह की सफाई करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। विकलांग बच्चों को पक्तियों में आगे रखा जाना चाहिए और उनकी यथा संभव सहायता की जानी चाहिए।

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का आशय बच्चों में समानता की भावना पैदा करना भी है। मध्याह्न भोजन को बच्चों में परोसने में किसी प्रकार सामाजिक भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। बच्चों में समानता, सहयोग तथा अनुशासन की भावना पैदा करने के लिए प्राप्त अवसर का उपयोग किया जाना चाहिए।

जहां कही संभव हो, स्कूलों को भोज्य पदार्थ जिनका उपयोग दोपहर का भोजन तैयार करने में किया जाता है, उगाने के लिए एक फार्म अथवा किचेन गार्डेन का विकास करना चाहिए। इसका दोपहर के भोजन से जुड़े अन्य कार्यकलापों (जैसे लेखा–खाते की देखरेख) का भी उपयोग किया जाना चाहिए ताकि बच्चों को कार्य का अनुभव प्रदान किया जा सके। मध्याह्न भोजन के समुचित वितरण तथा उपभोग में पुराने छात्रों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

4.6 मध्याह्न भोजन का उपभोग सूक्ष्मपोषी सम्पूरण तथा कृमि रहित बनाने के लिए करना

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का उपयोग सूक्ष्मपोषी सम्पूरण तथा कृमि रहित बनाने से संबंधित उपयुक्त कार्यों के लिए करना जैसे–

(i) कृमि रहित बनाने के लिए छमाही खुराक देना तथा बिटामिन–ए देना,

(ii) साप्ताहिक रूप–रेखा आयरन तथा फोलिक एसिड की गोली देना, और

(iii) स्थानीय क्षेत्र में पाई जाने वाली सामान्य कमी पर आधारित अन्य उपयुक्त सम्पूरण।

राज्य सरकारों से इस संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी करने की आशा की जाती है।

उपर्युक्त के संबंध में स्कूलों द्वारा तकनीकी सलाह तथा खुराकें नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सरकारी अस्पताल से प्राप्त की जाए तथा इनका वित्त–पोषण राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की उपयुक्त योजनाओं अथवा स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम से किया जाए–जबतक कि राज्य सरकार मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने संसाधनों से निधियां उपलब्ध कराने में समर्ध न हो।

4.7 कार्यक्रम कार्यान्वयन की नियमित मॉनीटरींग तथा इसका प्रभाव

मध्याहन भोजन कार्यक्रम को दो प्रकार से मॉनीटर किए जाने की आवश्यकता होगी, जैसेः–

(i) कार्यक्रम को किस प्रकार बेहतर ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है (अर्थात सभी बच्चों को लगातार संतोषजनक गुणवत्ता वाले भोजन की प्राप्ति के संबंध में), तथा

(ii) बच्चों की निम्नलिखित स्थिति के सुधार के संबंध में इस कार्यक्रम के प्रभाव, यदि कोई हों:–

(क) पोषण स्तर,

(ख) लगातार उपस्थिति, तथा

(ग) प्राथमिक शिक्षा में बने रहने तथा पूरा करने में।

उपर्युक्त दो सेटों के पैरामीटरों को क्रमशः ''कार्यक्रम पैरामीटर'' तथा '' प्रभाव पैरामीटर'' कहा जा सकता है। इन पैरामीटरों को निम्न प्रकार से मॉनीटर करना अपेक्षित होगाः–

क. सं0	पैरामीटर का प्रयोग	मॉनीटर कौन करेगा ?	मॉनीटरिंग की बारम्बारता
	(1)	(2)	(3)
	1. कार्यक्रम पैरामीटर		
1.	बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन की नियमितता तथा पोष्टिकता	i) वी.ई.सी./पी.टी.ए./एस.एम.डी.सी. के सदस्य ii) शिक्षक	रोज
2.	कमजोर वर्गों के बच्चो के विरूद्ध भेदभाव नहीं किया जाना	–वही–	–वही–
3.	मध्याह्न भोजन पकाने, परोसने तथा उपभोग करने में स्वच्छता	–वही–	–वही–
4.	अच्छे ढंग के उपादानों, ईंधन आदि की समय से अधिप्राप्ति	वी.ई.सी./पी.टी.ए./ एस.एम.डी.सी	साप्ताहिक
5.	विभिन्न प्रकार के मेनु तैयार करना	ग्राम पंचायत/नगर पालिका/ब्लॉक स्तरीय एस.एम.सी. में प्रतिनिधि	पाक्षिक/साप्ताहिक
6.	मध्याह्न भोजन की समग्र गुणवत्ता	(i) राजस्व/प्रशासन ग्रामीण विकास, शिक्षा, तथा किसी अन्य उपयुक्त विभाग (जैसा, डब्ल्यू.सी.डी., खाद्य, स्वास्थ्य आदि) से संबंधित राज्य सरकार के अधिकारी (ii) राज्य संघ राज्य क्षेत्र में पदस्थापित खाद्य तथा पोषाहार बोड भारत सरकार के अधिकारी (iii) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत पोषण विशेषज्ञ/अभिज्ञात संस्थाएं	राज्य सरकार द्वारा संबंधित खाद्य तथा पोषाहार बोर्ड के परामर्श से निर्धारित निरीक्षण के कतिपय लक्ष्यों के अनुसार

क. सं0	पैरामीटर का प्रयोग	मॉनीटर कौन करेगा ?	मॉनीटरिंग की बारम्बारता
	(1)	(2)	(3)
	2. प्रभाव पैरामीटर		
1.	पोषाहार स्थिति – स्कूल स्तर पर बच्चों के कम वजन के प्रतिशत का निर्धारण	वी.ई.सी./पी.टी.ए./ एस.एम.डी.सी.	वर्ष में दो बार
2.	उपस्थिति की स्थिति	–वही–	तिमाही
3.	धारिता/पूर्णता स्थिति	–वही–	वार्षिक
4.	उपर्युक्त मद 1 से 3 में से प्रत्येक के संबंध में प्रतिदर्श अध्ययन/पोषाहार स्थिति विषयक अध्ययन में दिशा–निर्देश के पैरा 1.1 में उल्लिखित विभिन्न कमियों खासकर आयु के अनुसार कम वजन (कम वजन तथा रक्तहीनता के प्रभाव) का अध्ययन शामिल होगा।	राज्य सरकार/जिला नोडल एजेन्सी/ जिला स्तरीय एस.एम.सी द्वारा चयनित उपयुक्त संस्थाएं	वार्षिक

उपर्युक्त से संबंधित आगे के दिशा निर्देश तथा रूप–रेखाएं राज्य सरकारों/राज्य स्तरीय एस. एम.सी. द्वारा तैयार की जाएंगी। राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाएगी कि वे जिला, सब–डिवीजन, तहसील/तालुका, ब्लॉक तथा निम्नलिखित विभागों से संबंधित अन्य उपर्युक्त स्तरों पर स्कूलों/ ई.जी.एस. केन्द्रों में परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन की जांच के लिए मासिक लक्ष्य निर्धारित करें:–

- राजस्व/सामान्य प्रशासन
- ग्रामीण विकास/शहरी प्रशासन
- स्कूली शिक्षा
- अन्य संबंधित विभाग जैसे–महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, खाद्य एवं सिविल सप्लाई, आदि।
- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए नोडल विभाग (जहां यह उपर्युक्त में से एक के आलावा कोई अन्य विभाग है)

निरीक्षण के लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए तथा निरीक्षणों को यथा संभव इस प्रकार समन्वित किया जाना चाहिए:–

(i) प्रत्येक तिमाही में लगभग 25 प्रतिशत प्राथमिक स्कूलों तथा ई.सी.एस./ए.आई.ई. केन्द्रों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का निरीक्षण किया जाए, तथा

(ii) सभी प्राथमिक स्कूलों तथा ई.जी.एस./ए.आई.ई. केन्द्रों का प्रत्येक वर्ष कम–से–कम एक बार निरीक्षण किया जाए।

उपर्युक्त को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक/शहर/नगर के लिए उपयुक्त निरीक्षण रोस्टर तैयार किए जाएंगे, और उनके कार्यान्वयन को ब्लॉक, जिला तथा राज्य स्तरीय एस.एम.सी. की प्रत्येक बैठक में मॉनीटर किया जाएगा।

तथापि, शैक्षणिक सत्र 2004–05 के समापन से पूर्व वर्ष 2004–05 के लिए आधारभूत अध्ययन संचालित तथा पूर्ण किया जाना चाहिए ताकि एन.पी.–एन.एस.पी.ई., 2004 के प्रथम वर्ष से संबंधित आंकड़े समय पर प्राप्त किए जा सकें।

4.8 मध्याह्न भोजन के लिए राज्य के अपने बजट आबंटन को बजट अनुमान, 2004–05 से कम नहीं किया जाना

चूंकि 22 राज्य सभी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को पहले ही पका–पकाया भोजन उपलब्ध करा रहे हैं और शेष 6 राज्य यह कार्य आंशिक रूप से कर रहे हैं। दिनांक 1.9.2004 से उन्हें पके–पकाए भोजन की लाग़त को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने के परिणामस्वरूप राज्य के संसाधनों की कुछ हद तक बचत होगी। तथापि, राज्य सरकारों के लिए वर्ष 2004–05 अथवा किसी बाद के वर्ष से संबंधित मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (योजनागत तथा योजनेतर) से संबंधित अपने बजट आवंटन को जो वर्ष 2004–05 के लिए उनके बजट प्रावधान के स्तर से नीचे हो, कम नहीं करना, अनिवार्य होगा, न ही वे भोजन तैयार करने हेतु केन्द्रीय सहायता के फलस्वरूप की गई बचत राशि का मध्याह्न भोजन के सिवाय किसी अन्य उद्देश्य जो वरीयता क्रम में निम्नानुसार हो, उपयोग कर सकेंगेः–

(i) मध्याह्न भोजन के लिए अपेक्षित अवसंरचना (जैसे–रसोईघर–सह–भंडार, पेयजल सुविधाएं, धुआं रहित चुल्हा, प्रेसर कूकर, गैस आधारित कूकिंग आदि) को बेहतर बनाना।

(ii) अभी तक की तुलना में अधिक गुणवत्तायुक्त मध्याह्न भोजन प्रदान करना, तथा।

(iii) कार्यक्रम की आगे बेहतरी से संबंधित अन्य कार्यो से संबंधित कृमि रहित करना, सूक्ष्म पोषक सम्पूरण, तथा प्रबंधन, मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन संबंधी शेष बचतें, यदि कोई हों।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भोजन पकाने के व्यय को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग करते समय इस बाबत एक शपथ लेंगे कि वे मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए, किसी वर्ष में, किसी भी परिस्थिति में, बजट अनुमान 2004–05 के स्तर से नीचे, अपने बजटीय आवंटन को कम नहीं करेंगे।

5 केन्द्रीय सहायता के दावे तथा निर्मुक्ति से संबंधित अन्तरिम दिशा–निर्देश तथा प्रक्रिया

इससे संबंधित दिशा–निर्देश अन्तरिम स्वरूप के हैं तथा इन्हें समय–समय पर संशोधित किया जाएगा।

5.1 निःशुल्क साद्यान्न तथा परिवहन आर्थिक सहायता

पैरा 3.5.5 में निःशुल्क खाद्यान्नों के प्रावधान की रूप–रेखाओं का वर्णन पहले की किया जा चुका है। परिवहन आर्थिक सहायता से संबंधित दिशा–निर्देश इस प्रकार हैंः–

(i) राज्य नोडल परिवहन एजेन्सी, अथवा जेसी भी स्थिति हो, जिलों/जिला समूहों के लिए नियुक्त परिवहन एजेन्सियां राज्य नोडल विभाग को निम्नलिखित प्रस्तुत करेंगीः–

(क) अगले माह की 15 तारीख तक खाद्यान्न उठाने की जिलेवार स्थिति विषयक मासिक सूचना,

(ख) ढुलाई संबंधी आर्थिक छूट हेतु तिमाही दावा – महीने की 15 तारीख तक अगली तिमाही में राज्य नोडल विभाग जांच करने के पश्चात समेकित मासिक खाद्यान्न

उठान रिपोर्ट तथा ढुलाई संबंधी आर्थिक छूट हेतु तिमाही दावा कमशः फार्म–1 तथा III में भरकर मंत्रालय को भेजेगा।

(ii) उपरोक्त के आधार पर मंत्रालय भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न हेतु भुगतान करेगा और राज्य नोडल विभाग को सूचित करते हुए राज्य परिवहन एजेंसी/विभाग को ढुलाई संबंधी आर्थिक छूट जारी करेगा।

(iii) खाली बोरों को बी.ई.सी./पी.टी.ए./एस.एम.डी.सी./विद्यालय प्रबंधन द्वारा पारदर्शिता बरतते हुए इस प्रकार बेचा जाएगा ताकि इससे अधिक–से–अधिक कीमत प्राप्त हो सके और इस प्रकार प्राप्त धनराशि का उपयोग मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में और सुधार लाने हेतु किया जाएगा। इस बिक्री का लेखा–जोखा राज्य सरकार द्वारा बताए गए तरीके से रखा जाएगा।

भोजन पकने तथा भोजन परोसने हेतु जहां गैर–सरकारी संगठनों, महिला स्व–सहायता समूहों आदि को नियुक्त किया जाना है, उन्हें इन बोरों को रखने की अनुमति दी जाए।

संलग्नक–I के अनुसार पर्वतीय ढुलाई संबंधी आर्थिक छूट के दावे हेतु भारतीय खाद्य निगम को वरीयता दी जाएगी।

5.2 भोजन पकाने संबंधी लागत हेतु केन्द्रीय सहायता

(i) भोजन पकाने संबंधी लागत हेतु केन्द्रीय सहायता दो समान किस्तों में जारी की जाएगी जो इस प्रकार हैं:–

किस्त	अवधि हेतु	में जारी की जाएगी
I	जुलाई–दिसम्बर	मई/लून के पहले
II	जनवरी–जून (ग्रीष्मावकाश के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन की अपूर्ति सहित)	नवम्बर/दिसम्बर के पहले

(ii) चूंकि, भोजन पकाने संबंधी लागत हेतु केन्द्रीय सहायता की प्रथम किस्त जनवरी, 2003 में जारी किए जाने की संभावना हैं, अतः यह राशि 1.9.04 से 30.4.05 तक की अवधि हेतु होगी, और द्वितीय किस्त 1.5.05 से 31.12.05 तक की अवधि हेतु जारी की जाएगी। तत्पश्चात् उपर्युक्त उप पैरा (i) में उल्लिखित समय–सूची के अनुसार किस्तें जारी की जाएंगी।

(iii) प्रत्येक किस्त का जारी किया जाना इस शर्त पर निर्भर होगा कि राज्य सरकार यह प्रमाणित करें कि पिछली किस्त की कम–से–कम दो–तिमाई राशि और पहले जारी की गई किस्तों की संपूर्ण राशि का उपयोग कर लिया गया हो।

(iv) भोजन पकाने हेतु केन्द्रीय सहायता की पहली किस्त का दावा करने हेतु प्रोफॉर्मा फॉर्म–IV में दिया गया है। राज्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपना दावा 24.12.04 तक मंत्रालय को भेज दें।

(v) भोजन पकाने हेतु केन्द्रीय सहायता की परवर्ती किस्तों का दावा करने हेतु प्रोफॉर्मा बाद में निर्धारित किया जाएगा।

5.3 प्रबंधन, मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन

(i) भोजन पकाने संबंधी लागत के निमित्त दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की प्रत्येक किस्त के साथ प्रबंधन, मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन संबंधी सहायता के निमित्त पैरा 3.4(4) के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जारी की जाएगी।

(ii) इसके अतिरिक्त, प्रत्येक वर्ष प्रबंधन, मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन हेतु केन्द्रीय सहायता पैरा 3.4(4) के अनुरूप निम्नलिखित के लिए भी जारी की जाएगी–(i) किसी राज्य/संघ शासित प्रदेश द्वारा उठाए गए खाद्यान्न हेतु भारतीय खाद्य निगम को भुगतान करने और (ii) वर्ष के दौरान राज्य/संघ शासित नोडल परिवहन एजेंसी/एजेंसियों को ढुलाई संबंधी आर्थिक छूट।

(iii) प्रबंधन, मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन हेतु केन्द्रीय सहायता की एवज में मदों तथा स्केलों पर होने वाले व्यय के संबंध में दियाा–निर्देश राष्ट्रीय संचालन–व–मानीटरिंग समिति के अनुमोदन के पश्चात अलग से जारी किए जाएंगे। सामान्य तौर पर, हालांकि प्रबंधन कार्य संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों द्वारा किए जाएंगे, और बाहय मुल्यांकन/मानीटरिंग के कार्य नामी–गिरामी संगठनों को आउट सोर्सिंग के जरिए सौंपे जाएंगे।

5.4 सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ग्रीष्मावकाश में मध्याह्न भोजन

(i) भारत सरकार (कृषि मंत्रालय) द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं तथा दिशा–निर्देशों, यदि कोई हो, के अनुरूप, राज्य सरकार द्वारा ''सूखा प्रभावित'' के रूप में औपचारिक रूप से अधिसूचित क्षेत्रों में ग्रीष्मावकाश के दौरान प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन प्रदान करने हेतु केन्द्रीय सहायता दी जाएगी।

(ii) इस प्रकार की अधिसूचना जैसे ही जारी की जाती है, राज्य सरकार को चाहिए कि वह केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु अपना दावा फॉर्म–V में मंत्रालय को भेजें। मामले की चांज करने के बाद केन्द्रीय सहायता यथा शीघ्र जारी कर दी जाएगी।

(iii) यदि किसी क्षेत्र को ''सूखा–प्रभावित'' घोषित करने के निमित्त अधिसूचना ऐसे समय में जारी की गई हो जब ग्रीष्मावकाश शुरू हो चुका हो अथवा होने वाला हो, राज्य सरकार को चाहिए कि वह ऐसे क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में केन्द्रीय सहायता जारी होने से पहले ही मध्याह्न भोजन देना प्रारंभ कर दे।

(iv) ग्रीष्मावकाश के दौरान इस कार्यक्रम को लागू करने हेतु खाद्यान्न की आपूर्ति संबंधित जिले में पैरा 3.5.5 (ii) के अनुसार किए गए वार्षिक आवंटन से की जानी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप उस वर्ष होने वाली खाद्यान्न की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने से निमित्त मंत्रालय द्वारा यह मात्रा बढ़ा दी जाएगी।

(v) ग्रीष्मावकाश के दौरान मध्याह्न भोजन प्रदान करने के निमित्त अतिरिक्त खाद्यान्न की ढुलाई हेतु आर्थिक छूट का दावा पैरा 5.1 में दी गई विधि के अनुरूप किया जाएगा।

6. आवधिक ब्यौरा

राज्य नोडल विभाग इस स्कीम के संबंध में मासिक तथा तिमाही प्रगति रिपोर्ट निम्नानुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजेगाः–

क्र. सं0	ब्यौरा का विषय	मंत्रालय को प्राप्त होने की अंतिम तिथि	फॉर्म
1.	खाद्यान्न उठाने संबंधी मासिक रिपोर्ट	अगले महीने की 15 तारीख	फॉर्म.II (पैरा 5.1 (vii) देखें)
2.	तिमाही प्रगति रिपोर्ट	तिमाही के समापन के बाद एक महीने के भीतर	फॉर्म.VI

यह नोट किया जाए कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट में अन्य के साथ–साथ बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान की प्रगति, और तिमाही के अंत तक केन्द्रीय सहायता संबंधी अनुपयुक्त शेष राशि का ब्यौरा शामिल हो। अनुपयुक्त शेष राशि के बारे में सूचना न देने की स्थिति में भविष्य में दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता प्रभावित होगी।

7. उपयोगिता प्रमाण–पत्र

उम्मीद की जाती है कि प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु (क) निःशुल्क खाद्यान्न (ख) खाना पकाने तथा प्रबंधन, मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन के निमित्त आर्थिक सहायता (ग) ग्रीष्मावकाश के दौरान सूखा–प्रभावित क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन के जरिए दी गई केन्द्रीय सहायता के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्य नोडल विभाग द्वारा मंत्रालय को दिए जाएंगे जो इस प्रकार हैं:–

क्र. सं0	उपयोगिता प्रमाण–पत्र का प्रकार	मंत्रालय को प्राप्त होने की अंतिम तिथि	फॉर्म
1.	उठाए गए खाद्यान्न के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र	आगामी वित्त वर्ष का 30 जून	VII
2.	खाना, पकाने संबंधी लागत तथा प्रबंधन मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन व्यय हेतु केन्द्रीय सहायता संबंधी उपयोगिता प्रमाण–पत्र।	आगामी वित्त वर्ष का 30 सितम्बर	VIII

संलग्नक–I
(संदर्भ : पैरा 1.1)

प्रारंभिक स्कूल जाने वाले बच्चों की आयु वर्ग में पाई जाने वाली मुख्य पोषाहार संबंधी कमियां

भारत में बच्चों को प्रभावित करने वाली मुख्य पोषाहार कमियां निम्नलिखित हैं:–

1. प्रोटीन–ऊर्जा कुपोषण
2. लौह कमी अरक्तता
3. विटामिन ए. की कमी, और
4. आयोडीन की कमी संबंधी विकार

स्कूल आयु वर्ग के बच्चों में वजन में कमी के द्वारा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण अथवा अल्पपोषण का अनुमान उनके पोषण स्तर को दर्शाने वाला सबसे संवेदनशील सूचक है। गोमेज (आयु के अनुसार भार वर्गीकरण के आधार पर) प्राथमिक स्कूल जाने वाले आयु वर्ग (6–13 वर्ष) सामान्य से कम भार वाले बच्चों का प्रतिशत इस प्रकार है:–

आयु	अल्पपोषण/सामान्य से कम भार वाले बच्चे		
	मामूली	सामान्य	गंभीर
6–9 वर्ष	31.9	54.0	8.6
10–13 वर्ष	18.2	47.8	30.1

स्रोत : एन.एन.एम.बी., एन.आई.एन. और आई.सी.एम.आर., 2002

लौह तत्व और फोलिक एसिड की कमी के कारण होने वाली अरक्तता छोटे बच्चों तथा किशोरों में बहुतायत पाई जाती है। पांच वर्ष से कम आयु के 67.5 प्रतिशत बच्चे और 69 प्रतिशत किशोरियां अरक्तता से पीड़ित हैं (एन.एन.एम.बी., 2003)। वर्ष 1981 से 1996 के दौरान कराए गए अध्ययनों के अनुसार स्कूल जाने वाले (6–14 वर्ष) आयु वर्ग के बच्चों में अरक्तता पाए जाने का प्रतिशत 14 से 96 प्रतिशत है, जो इस प्रकार है:–

क्रं सं0	स्थान	अरक्तता ग्रसित बच्चों का प्रतिशत (Hb<12g/dl))
1.	बड़ौदा	91
2.	कोलकाता	96
3.	हैदराबाद	60
4.	चेन्नई	14
5.	नई दिल्ली	67
6.	वाराणसी	68

स्रोत : माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर कार्यबल की रिपोर्ट, 1996 डी./डब्ल्यू.सी.डी., भारत सरकार

बढ़ते हुए बच्चों को प्रभावित करने वाली बिटामिन ए की कमी भी देश में एक जनस्वास्थ्य समस्या है। विटामिन ए बच्चों के विकास में मदद करने और बीमारियों के खिलाफ प्रतिरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए आवश्यक है। बिटामिन ए की कमी के कारण अतिसारी बीमारियां, श्वास संबंधी संक्रमण, खसरा आदि बीमारियों को बढ़ावा मिलता है।

बचपन के दौरान, जो कि अधिकतम विकास का काल होता है, आयोडीन की कमी के कारण बौद्धिक स्तर में कमी और शारीरिक और मानसिक विकास में कमी हो सकती है। यद्यपि, औसतन, 6–12 वर्ष आयु वर्ग के वच्चों में घेंघा का पाया जाना लगभग 4 प्रतिशत है, महाराष्ट्र में यह 12.2 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल में 9 प्रतिशत है जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित 5.0 प्रतिशत से काफी अधिक है। देश का कोई भी राज्य आयोडीन संबंधी विकारों से मुक्त नहीं हैं। जिन 321 जिलों का सर्वेक्षण किया गया उनमें से 260 जिलों में आयोडीन संबंधी विकारों का स्तर 10 प्रतिशत से अधिक है।

कुपोषण का उच्च स्तर पर विशेष रूप से बढ़ते बच्चों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अधिक विकृत और मृत्युदर से संबंधित है। स्कूल जाने वाले बच्चों में लौह तत्व की कमी उनके पढ़ने की क्षमता और ध्यान केन्द्रण को प्रभावित करती है। यहां तक कि माइक्रोन्यूट्रियन्टस (विटामिन ए., लौह तत्व, फोलिक एसिड, जिंक आदि) की मामूली कमी भी उनकी वृद्धि, विकास और प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करती है। कुपोषित बच्चों में आम तौर पर कम बौद्धिक स्तर और कम पहचान क्षमता पाई जाती है जो स्कूल में उनके प्रदर्शन और जीवन में उनकी कार्यक्षमता को प्रभावित करती है।

संलग्नक–II
(संदर्भ : पैरा 1.2.2)

सं0 एफ. 11–37/97–डैस्क (एम.डी.एम.)
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(प्रारंभिक शिक्षा विभाग)

सेवा में,

शिक्षा सचिव और
राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में
एन.पी.–एन.एस.पी.ई. के प्रभारी नोड्ल अधिकारी,

दिल्ली, दिनांक : 10 जून, 1999

कार्यालय ज्ञापन

विषयः एन.पी.–एन.एस.पी.ई. पर्वतीय ढुलाई संबंधी आर्थिक छूट की प्रतिपूर्ति संबंधी प्रक्रिया

यह मंत्रालय, लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ग्राह्य एन.पी.–एन.एस.पी.ई. के अन्तर्गत पर्वतीय ढुलाई संबंधी आर्थिक छूट की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया के स्पष्टीकरण पर अनके अनुरोध प्राप्त कर रहा है। इस प्रक्रिया का निम्नलिखित रूप से स्पष्टीकरण किया जाएः–

- पर्वतीय ढुलाई संबंधी आर्थिक छूट केवल उन पहाड़ी राज्यों को जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े और रेल की सुविधाओं की कमी वाले हैं जैसे अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य को देय है।

- पर्वतीय राज्यों में भारतीय खाद्य निगम को परिशिष्ट–1 में निकटतम निर्दिष्ट प्रमुख वितरण केन्द्रों पर अनुदान वितरण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

- यदि किसी कारण से भारतीय खाद्य निगम उपर्युक्त राज्यों के लिए प्रमुख वितरण केन्द्रों में खाद्यान्न उपलब्ध कराने में असमर्थ होता है तो यह परिशिष्ट–II में निर्दिष्ट निकटतम निर्धारित बेस डिपो से खाद्यान्न प्रदान कराएगा। ऐसे मामलों में पर्वतीय ढुलाई संबंधी आर्थिक छूट देय होगी। ऐसी परिस्थितियों में प्रमुख वितरण केन्द्रों में उपर्युक्त बेस डिपो से खाद्यान्नों के परिवहन की वास्तविक लागत, पर्वतीय ढुलाई संबंधी आर्थिक छूट के रूप में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा वापिस की जाएगी। ऐसे मामलों में खाद्यान्न उठान एजेंसी, भारतीय खाद्य निगम के प्रमुख वितरण केन्द्रों में भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपों से खाद्यान्न के ढुलाई की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति के लिए संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक से सपर्क करें।

– इसके अतिरिक्त स्कूल/गांव के प्रमुख वितरण केन्द्रों में भारतीय खाद्य निगम गोदामों से खाद्यान्न ले जाने के लिए यह मंत्रालय दिनांक 10.7.1997 के इस विभाग के अ.शा. सं0 11–34/97–डैस्क (एम.डी.एम.) द्वारा जारी आदेशों में लिखित डी.आर.डी.ए. के जरिए प्रति क्विंटल 50/रू. की अधिकतम सीमा तक वास्तविक ढुलाई लागत की प्रतिपूर्ति जारी रखेगा।

2. यह खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली के परामर्श से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

हस्ताक्षरित
(सुहैल अन्सारी)
डैस्क अधिकारी (एम.डी.एम.)

प्रतिलिपि प्रेषितः–

1. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली। उनके कार्यालय ज्ञापन सं0 179(1) 97–पी.–1 दिनांक 29 अप्रैल, 1999
2. प्रबंधक (बिक्री), भारतीय खाद्य निगम, 16–20, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली।

हस्ताक्षरित
(सुहैल अन्सारी)
डैस्क अधिकारी (एम.डी.एम.)

संलग्नक–I

दिनांक 9.7.1975 के पत्र संख्या 167 (32)/72–पी.वाई। द्वारा पर्वतीय राज्यों में घोषित मुख्य वितरण केन्द्र तथा उसके बाद से 20.12.1993 तक समय–समय पर घोषित अतिरिक्त मुख्य वितरण केन्द्रों की सूची

क्रं सं0	राज्य का नाम	जिलों का नाम	मुख्यालय	मुख्य वितरण केन्द्र
1	अरूणाचल प्रदेश	1. तवांग		(i) जिमीथांग*
2.		2. पूर्वी कांमग		(ii) सियोगत्जो
		3. अपर सुबानसीरी		(iii) तलीहा
		4. पश्चिम सियांग		(iv) लिरोमोबा
		5. लोवित		(v) हेलियांग
		6. तिराप		(vi) पंचाव
		7. पश्चिम कांमग		(vii) कोलकतांग
		8. लोअर सुबानसीरी		(viii) नाइपीह
		9. इटानगर अनुमंडल		(ix) सेजली
		10. पूर्वी सियांग		(x) मरियांग
		11. दिवांग वेली/रोविंग अनुमंडल		(xi) अनिनि
		12. चांगलांग अनुमंडल		(xii) मिआव
2.	हिमाचल प्रदेश	1. विलासपुर	विलासपुर	(i) चम्बा (ii) कांगडा
		2. चम्बा	चम्बा	(iii) मंडी (iv) कुल्लू
		3. हमीरपुर	हमीरपुर	(v) हमीरपुर (vi) क्योंलांग
		4. कांगडा	धर्मशाला	(लाहौल और स्पिति का मुख्यालय)
		5. किन्नौर	कल्पा	
		6. कुल्लू	कुल्लू	(vii) सोलन (viii) शिमला
		7. लाहोल स्पिति	क्योंलांग	(ix) कल्पा (x) नाहान (सिरमोर जिले का मुख्यालय)
		8. मंडी	मंडी	(xi) ऊना (xii) बिलासपुर
		9. शिमला	शिमला	(xiii) किल्लर (xiv) काजा**
		10. सिरमौर	नाहान	
		11. सोलन	सोलन	
		12. ऊना	ऊना	

* केन्द्र 1 से 12 तक दिनांक 29.1.86 के पत्र संख्या 179 (1)/86–पी.वाई.। के द्वारा घोषित किया गया था।

** संख्या (xiii) में दिया गया केन्द्र दिनांक 27.11.81 के पत्र संख्या 167 (21) /80–पावाई–1 के द्वारा तथा संख्या (xiv) में दिया गया केन्द्र दिनांक 2.5.85 के समसंख्यक पत्र द्वारा घोषित किया गया था।

क्रं सं 0	राज्य का नाम	जिलों का नाम	मुख्यालय	मुख्य वितरण केन्द्र
				@@
3	जम्मू व कश्मीर	1. अनन्तनांग (दक्षिणी कश्मीर)	अन्नतनांग	(i) जम्मू (ii) उद्यमपुर (iii) पूंछ (iv) राजोरी
		2. बारमुला (उत्तरी कश्मीर)	बारमुला	(v) कठुआ (vi) डोडा
		3. डोडा	डोडा	(vii) अनन्तनांग
		4. जम्मू	जम्मू	(viii) श्रीनगर
		5. कठुआ	कठुआ	(ix) बारमुला (x) लेह और लद्दाख
		6. लद्दाख	लेह	
		7. पूंछ	पूंछ	(xi) लाथपोरा
		8. रजौरी	रजौरी	(xii) कुपवाडा
		9. श्रीनगर	श्रीनगर	(xiii) बांदीपुडा
		10. ऊद्यमपुर	उद्यमपुर	
		11. पलुमवा	पलुमवा	
		12. कुपवाड़ा	कुपवाडा	
				****
4.	मणिपुर	1. मणिपुर सेंट्रल	इम्फाल	(i) इम्फाल (ii) केरांग (इम्फाल के रास्ते में)
		2. मणिपुर पूर्व	उखरूल	(iii) चूडाचंद्रपुर
		3. मणिपुर नार्थ	केरांग	(iv) तमांगलांग
		4. मणिपुर साउथ	चुडाचंद्रपुर	(v) उखरूल (vi) चंदेल (vii) परबंग (viii) तंगनुपला
		5. मणिपुर पश्चिम	तमांग लांग	(ix) नई कायपुन्दयी
5.	मेघालय	1. गारो हिल्स	तुरा	(i) शिलांग (ii) ज्वाई
		2. जयन्तीय हिल्स	ज्वाई	(iii) तुरा (iv) विलियम नगर
		3. खासी हिल्स		(v) नॉनगातो
		4. शिलांग		
				*****
6.	मिजोरम	1. आइजोम	आइजोल	(i) आइजोल (ii) लुंगलई
		2. लुंगलई	लुंगलई	(iii) लुंवांगथाली
		3. छिम्तुईपुर	सिआहा	(iv) कोलासीब आइजोल के रास्ते में (v) एबावाक (vi) चम्पाई (vii) कुवालकुल (viii) सैतुअल (ix) लोकीचारा

@@ केन्द्र (xi) और (xii) दिनांक 18.2.85 के पत्र संख्या 167 (17)/84-पीवाई-1 के द्वारा तथा केन्द्र (xiii) दिनांक 4.10.85 के पत्र द्वारा घोषित किया गया था।

**** केन्द्र (iii) से (vi) तक दिनांक 31.12.76 के पत्र संख्या 167(32)/72-पीवाई-1 के द्वारा तथा केन्द्र (vii) से (xi) तक दिनांक 22.9.86 के पत्रा संख्या 179(3)/86-पीवाई-1 के द्वारा घोषित किया गया था।

***** केन्द्र (iii) तथा (iv) दिनांक 26.2.76 के पत्र संख्या 167(32)/72-पीवाई-1 के द्वारा तथा केन्द्र (v) दिनांक 26.3.85 के पत्र संख्या 167(29)/84-पीवाई-1 के द्वारा और केन्द्र (vi) से (ix) दिनांक 13.5.86 के पत्र संख्या 167(29)/84पीवाई-1 के द्वारा घोषित किया गया था।

क्रं सं0	राज्य का नाम	जिलों का नाम	मुख्यालय	मुख्य वितरण केन्द्र
7.	नागालैंड	1. कोहिमा	कोहिमा	(i) कोहिमा (ii) मोकाकचुंग
		2. मोकाकचुंग	मोकाकचुंग	(iii) तुएनसांग (iv) कोहिमा और मोजाजचुंग, यदि पूर्ति वोख, जून-बोतो, फेक और मोन के अलावा किया जाना हो।
		3. तुएनसांग	वोका जून-बोतो %%	
			तुएनसांग	(v) मोन (vi) जूनबोतो (vii) वोखा (viii) फेक
8.	सिक्किम	1. सिक्किम पूर्व	गंगटोक	(i) गंगटोक (ii) जोरथांग
		2. सिक्किम उत्तर	मनगांन	(iii) रैनॉक (iv) मनगांन (v) ग्याल-सिंग $$
		3. सिक्किम दक्षिण	मामची	
		4. सिक्किम पश्चिम	ग्याल-सिंग	
				++
9.	त्रिपुरा	1. उत्तर त्रिपुरा	कैलाशहर	(i) अगरतला (ii) कुमारघाट (iii) उदयपुर (iv) अमरपुर
		2. दक्षिण त्रिपुरा	उदयपुर	(v) बगाफा (vi) अमाबासा
		3. पश्चिम त्रिपुरा	अगरतला	

%% केन्द्र (i) से (iii) दिनांक 2.8.75 के पत्र संख्या 167(32)/72-पीवाई-। के द्वारा तथा केन्द्र (iv) दिनांक 25.21.76) के समसंख्यक पत्र और केन्द्र (v) से (viii) दिनांक 3.6.92 के पत्र संख्या 179(7)/90-पीवाई-। के द्वारा घोषित किया गथा था।

$$ केन्द्र (v) 13.7.93 के पत्र संख्या 179(2)/86-पीवाई-। के द्वारा घोषित किया गया था।

++ केन्द्र (ii) से (vi) दिनांक 18.12.86 के पत्र संख्या 167(30)/84-पीवाई-। के द्वारा घोषित किया गया था।

संलग्नक –II

राज्यों के नाम तथा उनसे जुड़े बेस डिपो

राज्यों के नाम	घोषित आधार डिपो
1. नागालैंड	दीमापुर
2. मणिपुर	दीमापुर, इम्फाल
3. मिजोरम	सिल्चर, कोलसीब, वैरिएगल, भैराल
4. मेघालय	गुवाहाटी, शिलांग
5. त्रिपुरा	धर्मनगर, चूड़ाबाडी
6. अरूणाचल प्रदेश	बिन्दुकुडी, उत्तर लखीमपुर, धेमाजी, बन्दरदेवा, सीनामारा, डिब्रूगढ़ और तिनसुखियां
7. सिक्किम	सिलीगुडी

संलग्नक –II ए
(संदर्भः पैरा 1.2.2)

फैक्स संदेश
सं. 179 (I)/97 पीवाई।
भारत सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय
(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 29 अप्रैल, 1999

कार्यालय ज्ञापन

विषयः– पर्वत परिवहन आर्थिक सहायता स्कीम के तहत अभिस्वीकृत मध्याह्न भोजन स्कीम के अन्तर्गत खाद्यान्नों को परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति

अध्योहस्ताक्षरित को दिनांक 11.9.95 के शिक्षा विभाग के यू. ओ संख्या 11–37/97 – डेस्क (एम डी एम) के संबंध में उपरोक्त विषय पर इस बात पर की पुष्टि करने का निदेश हुआ है कि चूंकि पर्वत परिवहन आर्थिक सहायता सहित खाद्यान्नों की आर्थिक लागत भरतीय खाद्य निगम के परिव्यय में शामिल है, अतः भारतीय खाद्य निगम वास्तविक आधार, अर्थात पर्वत परिवहन आर्थिक सहायता, पर परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति करना जारी रखेगा जैसाकि पर्वतीय राज्यों (अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा) द्वारा मध्याह्न भोजन के अन्तर्गत कम लागत पर जारी खाद्यान्नों को भारतीय खाद्य निगम के आधार डिपो से इन राज्यों में घोषित प्रधान वितरण केन्द्रों तक परिवहन करने पर किया जाता है।

(ह0/–)
(बी0 के0 देव वर्मा)
निदेशक (पी)
फोन : 3388141

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शिक्षा विभाग
(ध्यानाकर्षण : श्री सुहेल अंसारी, डेस्क अधिकारी (एम डी एम)
मध्याह्न भोजन विभाग
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपिः

1. श्री जी. मोहन, कार्यकारी निदेशक (वित्त), भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली
2. श्री ए0 एस0 छाबडा, कार्यकारी निदेशक (विक्रय) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली – उनके दिनांक 12.2.99 की संख्या 26/1/98–99 एम एम एस/एम0 वी0 / खंड –III के संदर्भ में।
3. अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार के प्रधान निजी सचिव – दिनांक 23.3.99 की डायरी सं0 840/एफ0 ए0 के संदर्भ में।

(ह0/–)
(बी0 के0 देव वर्मा)
निदेशक (पी)

संलग्नक –III
(संदर्भः पैरा 1.2.3)

सं0 पी0 12019/1/2003 –आरडी
भारत सरकार
योजना आयोग
(ग्रामीण विकास विभाग)

योजना भवन, संसद मार्ग
नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2003

प्रेषक : बी0 एन0 नन्दा
निदेशक
ग्रामीण विकास विभाग
योजना आयोग, योजना भवन,
संसद, मार्ग नई दिल्ली - 110001

सेवा में : सचिव
योजना विभाग
सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

विषयः- 2003-04 के दौरान 'प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना' में 'मध्याह्न भोजन को शामिल करना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रारंभिम शिक्षा और साक्षरता विभाग ने योजना आयोग से बात करके अनुरोध किया है कि वह राज्यों को – प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना' की निधियों को 'मध्याह्न भोजन कार्यक्रम' के अन्तर्गत खाद्यान्नों को पकाने पर आने वाली लागत को पूरा करने के लिए उपयोग करने की अनुमति दे । यह सुझाव इसलिए दिया गया था ताकि 'सर्व शिक्षा अभियान' प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण हेतु मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता को समुचित रूप से पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त, राज्यों की कमजोर वित्तीय स्थिति तथा 'मध्याह्न भोजन' मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए ऊपर उल्लिखित भोजन पकाने की लागत हेतु राज्यों के संसाधनों की प्रतिपूर्ति करने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझा गया।

योजना आयोग ने प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा प्रधानमंत्री कार्यालय से परामर्श करके इस मुद्दे की जांच की है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान 2003-04 के लिए ' प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना' के अन्तर्गत 'मध्याह्न भोजन पकाने की लागत को एक अनुज्ञेय मद के रूप में शामिल किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया है आगामी वार्षिक योजना 2004-05 से 'मध्याह्न भोजन' पकाने की लागत को 'सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षा' के स्थान पर 'प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना' के एक घटक के रूप में

शामिल किा जाएगा और राज्य को एसीए आवंटन में से कम से कम 15 प्रतिशत इस मद के लिए निर्धारित करना होगा।

यह अनुरोध किया जाता है कि राज्य सरकारों में संबंधित विभाग को अनुपालन हेतु ऊपर उल्लिखित संशोधित दिशानिदेशों से अवगत करा दें।

आपका

ह0/-

बी0 एन0 नन्दाल्द्ध

संलग्नक–IV
(संदर्भ : पैरा 1.2.3)

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, 2004–2005 के अंतर्गत राज्य–वार आवंठन को दर्शाने वाला विवरण।

(रूपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संध राज्य क्षेत्र का नाम	ए.सी.ए. 2004–2005
(1)	(2)	(3)
	गैर–विशेष श्रेणी वाले राज	
1.	आन्ध्र प्रदेश	15644.00
2.	बिहार	24173.00
3.	छत्तीसगढ़	3435.00
4.	गोवा	72.00
5.	गुजरात	7122.00
6.	हरियाणा	1834.00
7.	झारखंड	7446.00
8.	कर्नाटक	8273.00
9.	केरल	7608.00
10.	मध्य प्रदेश	8500.00
11.	महाराष्ट्र	10917.00
12.	उड़ीसा	10863.00
13.	पंजाब	4442.00
14.	राजस्थान	10611.00
15.	तामिलनाडु	11547.00
16.	उत्तर प्रदेश	37087.00
17.	पश्चिम बंगाल	18490.00
18.	**उप–योग**	**188064.00**
	विशेष श्रेणी वाले राज्य	
1.	अरूणाचल प्रदेश	6500.00
2.	असम	19000.00
3.	हिमाचल प्रदेश	7000.00
4.	जम्मू और कश्मीर	18000.00
5.	मणिपुर	4800.00
6.	मेघालय	4112.00
7.	मिजोरम	4300.00

क्र. सं.	राज्य/संध राज्य क्षेत्र का नाम	ए.सी.ए. 2004-2005
(1)	(2)	(3)
8.	नागालैण्ड	4526.00
9.	सिक्किम	3000.00
10.	त्रिपुरा	5693.00
11.	उत्तरांचल	7000.00
	उप-योग	**83931.00**
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	1078.00
2.	पांडिचेरी	465.00
3.	अण्डमान और निकोवार द्वीपसमूह	1002.00
4.	चण्डीगढ़	442.00
5.	दादर व नगर हवेली	128.00
6.	लक्षद्वीप	172.00
7.	दमन व द्वीप	111.00
	उप-योग	**3398.00**
	कुल योग	**275393.00**

संलग्नक –V
(संदर्भः पैरा 1.2.4)

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा जिसमें रसोई शेड, पेयजल प्रबंधों और बर्तनों के लिए निधियां उपलब्ध हैं।

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को बेहतर कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को सक्षम बनाने के मद्देनजर विभिन्न अन्य केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना से (कार्यक्रम के अंतर्गत (खाद्यान और परिवहन सब्सिडी के अतिरिक्त) निश्चित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें अनुमति दी गई जो इस प्रकार हैः–

क्र. सं.	मद	योजना/कार्यक्रम जिनके अंतर्गत निधियां उपलब्ध हैं
1.	**रसोई शेडों का निर्माण** (क) ग्रामीण क्षेत्रों में :	संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर. वाई.) के अंतर्गत निधियां उपलब्ध। वार्षिक कार्य योजना में प्रस्ताव उल्लिखित हों।
	(ख) शहरी क्षेत्रों में :	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना का घटक राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम और शहरी वेतन रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां उपलब्ध।
2.	**पेयजल सुविधा का निर्माण**	निम्नलिखित के अंतर्गत उपलब्ध निधियांः (क) सर्व शिक्षा अभियान, और (ख) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, और पेयजल आपूर्ति विभाग के स्वजलधारा कार्यक्रम
3.	**बर्तनों का क्रय**	2000/– रूपये प्रतिवर्ष प्रति स्कूल के वार्षिक स्कूल अनुदान से सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निधियां उपलब्ध

संलग्नक –VI
(संदर्भः पैरा 1.2.5)

मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत वर्ष 2004–2005 के दौरान शामिल बच्चों की संख्या और आवंटित खाद्यानों की मात्रा को राज्य–वार दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्यों/संध राज्य क्षेत्रों के नाम	शामिल बच्चों की संख्या (लाख में)	आवंटित खाद्यानों की मात्रा (लाख मीट्रिक टन)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	90.81	2.13
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.78	0.04
3.	असम	33.88	1.02
4.	बिहार	97.92	1.96
5.	छत्तीसगढ़	28.29	0.57
6.	गोवा	0.68	0.01
7.	गुजरात	30.18	0.60
8.	हरियाणा	16.28	0.46
9.	हिमाचल प्रदेश	5.90	0.18
10.	जम्मू और कश्मीर	8.31	0.25
11.	झारखंड	32.80	0.82
12.	कर्नाटक	51.26	1.18
13.	केरल	21.16	0.42
14.	मध्य प्रदेश	76.50	1.60
15.	महाराष्ट्र	96.65	2.22
16.	मणिपुर	3.06	0.09
17.	मेघालय	5.03	0.10
18.	मिजोरम	0.96	0.02
19.	नागालैण्ड	8.74	0.03
20.	उडीसा	51.51	1.35
21.	पंजाब	14.99	0.43
22.	राजस्थान	76.62	1.69
23	सिक्किम	0.84	0.02
24.	तामिलनाडु	43.06	0.86

25.	त्रिपुरा	4.58	0.09
26.	उत्तरांचल	8.11	0.16
27.	उत्तर प्रदेश	169.97	5.10
28.	पश्चिम बंगाल	103.27	3.03
29.	अण्डमान और निकोवार द्वीपसमूह	0.35	0.01
30.	चण्डीगढ़	0.42	0.01
31.	दादर व नगर हवेली	0.30	0.01
32.	दमन व द्वीप	0.15	0.003
33.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	10.78	0.22
34.	लक्षद्वीप @	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.53	0.01
	कुल	**1088.67**	**26.68**

@ यह संघ राज्य क्षेत्र अपने कार्यक्रम पर चल रहा है।

संलग्नक –VII
(संदर्भः पैरा 2)

मध्याह्न भोजन के संबध में निश्चित नीति घोषणा से उद्धरण

1. दिनांक 7.6.04 को संसद में दिया गया राष्ट्रपति का संबोधन,

"18... केन्द्रीय सरकार द्वारा मुख्य रूप से निधियन, राष्ट्रीय पका–पकाया पोषक मध्याह्न भोजन योजना को प्राथमिक और माध्यमिक विद्यायलों में सुचारू ढंग से दिया जाएगा..."

2. दिनांक 08.07.04 को दिया गया केन्द्रीय वित्त मंत्री का बजट पर भाषणः–

"12. गरीब अपने बच्चों के लिए मूलभूत शिक्षा चाहता है। हम इसे देंगे, और हम इसका सुनिश्चय करेंगे कि बच्चा कम से कम आठ वर्षो के लिए स्कूल में रहे। हम इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे जब बच्चा लड़का या लड़की स्कूल में हो तो व भूखा न रहे..."

"22... उपकर के रूप में एकत्रित समग्र राशि को शिक्षा के लिए निर्धारित किया जाएगा, जिसमें नैसर्गिक रूप से दिया जाने वाला पोषक पका–पकाया मध्याह्न भोजन शामिल होगा। यदि प्राथमिक शिक्षा और पोषक पका–पकाया भोजना योजना के साथ–साथ कार्य करती है, तो मुझे विश्वास है कि भारत के गरीब बच्चों के लिए एक नया सवेरा होगा"

संलग्नक –VIII
(संदर्भः पैरा 3.4)

100 ग्राम गैहू/चावल/चपाती का पोष्टिकता मूल्य

क. सं.	खाद्य पदार्थ का नाम	ऊर्जा (कैलोरी)	प्रोटीन (ग्राम)	वसा (ग्राम)	कार्बोहाइड्रेट्रस (ग्राम)
1.	गैहू (सम्पूर्ण)	346	11.8	1.5	71.2
2.	आटा(सम्पूर्ण)	341	12.1	1.7	69.4
3.	गैहू चपाती	267	8.0	0.67	53.4
4.	कच्चा चावल (चक्की वाला)	345	6.8	0.5	78.2
5.	आधे उबले हुए चाबल (चक्की वाले)	346	6.4	0.4	79.0

स्रोत :– ''भारतीय खाद्य पदार्थो का पौष्टिकता मूल्य '' , पोषाहार संस्थान (1978)

संलग्नक –IX
(संदर्भः पैरा 3.5.4)

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठनों को शामिल करने के लिए दिशा–निर्देश

1. गैर सरकारी संगठनों का चयन उनकी विश्वसनीयता और कार्यक्रम निष्पादन की क्षमता को ध्यान में रख कर दिया जाएगा। गैर सरकारी संगठनों को स्थानीय निकायों ग्राम शिक्षा समितियों/ माता शिक्षक संध के सहयोग से कार्य कारने में इच्छुक रहना चाहिए।

2. कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए ऐसी एजेन्सियों से सहयोग लेने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को चयनित गैर सरकारी संगठन और संबंधित ब्लॉकों एवं जिलों में पात्र स्कूलों को शामिल करने एवं ऐसे स्कूलों में कक्षा I-V में बच्चों की संख्या संबंधी सूचना भेजी जानी चाहिए।

3. गैर सरकारी संगठन यह सुनिश्चित करेंगे कि पका हुआ भोजन केवल सरकारी, स्थानीय निकाय के एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे कक्षा (I-V) के बच्चों को ही मिले। निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों और गैर औपचारिक स्कूलों को शामिल नहीं किया जाए।

4. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पके हुए भोजन में 100 ग्राम गैहू/चावल प्रति बच्चा प्रति दिन के बराबर कैलोरी हो।

5. पात्र बच्चों को पका हुआ भोजन देने में धर्म, जाति और मत के आधारपर कोई भेद नहीं किया जाएगा।

6. रसोई घर और भंडारण कक्ष के निर्माण, रसोईयों, सहायकों और ऐसे अन्य कर्मचारियों की नियुक्त, बर्तनों आदि जैसे संभर–तंत्र संबंधी आवश्यकताओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई जिम्मेदारी वहन नहीं की जाएगी।

7. राज्य सरकार पात्र स्कूलों में पके हुए भोजन अथवा बिना पके भोजन के लिए गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगी। इसके लिए राज्य सरकार अथवा संबंधित गैर सरकारी संगठन कच्चे अनाजों को पके हुए भोजन के रूप में परिवर्तन के लिए संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। केन्द्र सरकार स्कीम पर दिशा–निर्देशों के पैरा 4 में उल्लिखित केन्द्रीय सहायता को छोड़कर कोई अन्य करार नही कर सकती है।

8. स्कीम के अन्तर्गत अनाजों को लाने, ले जाने हेतु परिवहन और हस्तांतरण प्रभार, यदि कोई हो, का भुगतान जिला प्राधिकरण द्वारा गैर सरकारी संगठनों को किया जाएगा बशर्ते कि वे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विहित दरों पर भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से स्कूलों तक अनाज उठाने और ले जाने हेतु प्राधिकृत हैं।

9. गैर सरकारी संगठन अनाजों के उठाने और उपयोग, स्कूलों की संख्या और शामिल किए गए बच्चों से संबंधित मासिक रिपोर्ट जिला प्राधिकरण को सौंपेंगे जिसे पुनः समय–समय पर निहित प्रपत्र पर राज्य सरकार/केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा।

10. गैर सरकार संगठन राज्य सरकार को परिवहन प्रभारों और राज्य सरकार से प्राप्त ऐसे अन्य अनुदानों पर अनुमोदित सनदी लेखापाल द्वारा विधिवत प्रमाणित लेखा विवरण सहित वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

11. राज्य सरकार संबंधित राज्य/संध राज्य क्षेत्र संबंधित वित्तीय नियमावली के अनुसार उपर्युक्त शर्तो के अलावा ऐसी अन्य शर्ते विहित कर सकती है।

12. प्राप्तकर्ता संगठन किसी अन्य संगठन-एजेन्सी को परियोजना या उसका भाग नहीं सौंपेगा।

13. राज्य सरकार/भारत सरकार को जब यह विश्वास करने का आधार हो कि प्रदान की जा रही सहायता का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो उसे बन्द किया जा सकता है और पूर्व में दी गई सहायता वापस ली जा सकती है। प्राप्तकर्ता संगठन की जॉच केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय/राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी द्वारा की जा सकती है। कार्यक्रम की प्रगति/सम्पादन का मूल्यांकन करने के लिए केन्द्र सरकार किसी व्यक्ति/संगठन/एजेन्सी को नामित कर सकती है। और प्राप्तकर्ता संगठन एन0 पी0-एन0एस0पी0 ई (माध्याह्न भोजन स्कीम) के कार्यान्वयन के संबंध ा में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों निर्देशों का अनुपालन करेगा।

14. परियोजना का उपयुक्त और विशिष्टि रूप से लेखा जोखा रखा जाएगा। लेखा विवरण की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा उनके विवेकाधीन जॉच के अलावा भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त किसी भी अधिकारी द्वारा जॉच की जा सकती है।

15. कार्यक्रम पूरा होने और इस अनुदान के निपटान से पूर्व प्राप्तकर्ता संगठन के भंग हो जाने की स्थिति में सहायता की शर्तो के अनुपालन की जिम्मेदारी संबंधित जिला कलेक्टर की होगी और इस सहायता से प्राप्त परिसम्पात्तियाँ तत्काल सरकार की हो जाएगी।

16. प्राप्तकर्ता संगठन सरकारी अनुदान से पूर्णतया या आंशिक रूप से प्राप्त की गई सभी परिसम्पत्तियाँ के लिए एक स्टॉक रजिस्टर (विहित प्रपत्र पर) रखेगा। भारत सरकार की पूर्व संस्वीकृति के बिना ऐसे अनुदानों/परिसम्पत्तियों को जिस उद्देश्य के लिए अनुदान प्रदान किया गया था। उससे भिन्न उद्देश्य के लिए बेचा, ऋणग्रस्त किया या उपयोग में नहीं लाया जाएगा। प्राप्तकर्ता संगठन का किसी भी समय अस्तित्व समाप्त हो जाने पर ऐसी परिसम्पत्तियाँ भारत सरकारकी हो जाएंगी।

17. इन शर्तो में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय (प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) में भारत सरकार के सचिव का निर्णय अन्तिम होगा और प्राप्तकर्ता संगठन के लिए बाध्यकारी होगा।

संलग्नक –X
(संदर्भः पैरा 3.5.6)

भारतीय खाद्यान्न निगम
मुख्यालय, नई दिल्ली
16-20, बाराखम्बा लेन,
नई दिल्ली - 110001

एम. ओ. 26/1/1999-2000/एमएमएस/सेल्स V

मई 4, 1999

आंचलिक प्रबन्धक
भारतीय खाद्यान्न निगम,
आंचलिक कार्यालय

नई दिल्ली/कलकत्ता/मुम्बई/चेन्नई/गुवाहाटी

विषयः एनपी-एनएसपीई माध्याह्न भोजन स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1999.2000 के लिए खाद्यान्नों को रिलीज करना।

संदर्भ- । मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) का दिनांक 27 मार्च, 1998 का पत्र संख्या 6-33/98- एन एस पी ई (एम डी एम)

2 मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) का दिनांक 16 अप्रैल, 1999 का पत्र संख्या 5-33/99डेस्क (एम डी एम) (प्रति संलग्न है)

3 भारतीय खाद्यान्न निगम के मुख्यालय का दिनांक 2 मई, 1998 का पत्र सं0 26/1/98/एमएएस/एसवी

महोदय,

कृपया उपर्युक्त पत्रों को देखे।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 27 मार्च, 1998 (संदर्भ) द्वारा वर्ष 1998-99 के लिए किए गए आवंटन के अनुसार विशेष मामले के रूप में विद्यमान पद्धति पर अप्रैल, 1999 के लिए खाद्यान्न रिलीज करने का निर्णय लिया गया है और आपके क्षेत्र के संबंधित राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के लिए दिनांक 2 मई, 1998 के मुख्यालय के पत्रों (संदर्भ-3) के जरिए संस्वीकृति भेज दी गई है। अप्रैल, 1999 के आवंठित कोटे के खाद्यान्नों को ढोने की वैद्य अवधि 15 मई, 1999 तक बढ़ा दी गई है। जैसा कि दिनांक 27.3.1998 के पत्र में (संदर्भ।) में दिया गया है तथा मुख्यालय के दिनांक 2.5.1998 के पत्र द्वारा (संदर्भ3) सूचित किया गया था। इस माह के लिए जारी की जाने वाली खाद्यान्नों की मात्रा कुल आवंटन/आवश्यकता के 1/10 से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा इसमें से पहले महीने में दिए गए चावल गैहू के अप्रयुक्त स्टॉक को कम करना होगा।

आपसे अनुरोध है कि तदनुसार आप कार्रवाई करें और मुख्यालय के निधियन फार्मेट में जिलावार दावा प्रस्तुत करें जिसके साथ पिछले माह का जिला कलक्टर से प्राप्त रसीद एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र लगा हो। जिनके साथ परेदिती रसीद नही है, उन दावा पर विचार नही किया जाएगा।

कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि मध्याह्न भोजन स्कीम के अन्तर्गत केवल अच्छी कोटि के खाद्यान्न ही दिए जाने चाहिए । इस संबंध में किसी भी तरह की शिकायत संबंधित एस आर एम की ओर से निरीक्षण की कमी की बजह से अप्रभावी समझी जाएगी।

गेहूं और चावल को उठाने की स्थिति अगले माह की 15 तारीख तक अवश्य ही मुख्यालयों को सूचित की जाए ताकि खाद्यान्नों को उठाने की स्थिति के वारे में अगले माह की 20 तारीख तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) को सूचित किया जा सके।

भवदीय
ह0/-
(एल0डी0 कालरा)
(उप प्रबन्धक (विक्रय)
कृते कार्यकारी निदेशक (विक्रय)

प्रतिलिपि प्रेषित

1. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रवन्धक, भारतीय खाद्यान्न निगम, नई दिल्ली/जम्मू/ जयपुर/लखनऊ/शिमला/मुम्बई/ पंजाव-हरियाण-क्षेत्र/चंडीगढ़/अहमदाबाद/भोपाल/कलकत्ता/भुवनेश्वर/पटना/हैदराबाद/चेन्नई/बंगलौर/ तरूवन्तपुरम/गुवाहाटी/शिलांग
2. श्री उपमन्यु चटर्जी, निदेशक (एमडीएम) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. अवर सचिव (बी पी-।।) खाद्यान्न और उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाधान और नागरिक आपूर्ति विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. ए एफ ए (निधियन) / (वित्त)/ (लेख)/ भारतीय खाद्यान्न निगम, मुख्यालय
5. संयुक्त प्रबन्धक (निधियन), भारतीय खाद्यान्न निगम, मुख्यालय
6. प्रबन्धक (पी एण्ड आर) भारतीय खाद्यान्न निगम, मुख्यालय
7. ई डी (एफ) पी ई डी, (एस)/ईडी(टी), एफसीआई, मुख्यालय के वैयक्तिक सहायक

ह0/-
कृते कार्यकारी निदेशक (विक्रय)

संलग्नम –XI
(संदर्भ पैरा 3.5.7)

विभिन्न स्तरों पर गठित की जाने वाली एन पी–एन एस पी ई के लिए स्थाई एवं मॉनिटरिंग समितियों के लिए सुझाया गया गठन

क्रं सं0	स्थिति	राष्ट्रीय	राज्य	जिला	ब्लॉक
1	अध्यक्ष	सचिव, माध्यमिक और साक्षरता विभाग	मुख्य सचिव अपर मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त	कलक्टर	उप–प्रभागीय अधिकारी
2.	पदेन सदस्य	1. प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग मे कार्यक्रम के प्रभारी संयुक्त सचिव	1. मुख्य निजी सचिव/सचिव स्कूल शिक्षा 1. क मुख्य निजी सचिव/प्रभारी सचिव कार्यक्रम का नोडल विभाग (जहां स्कूल शिक्षा के अलावा एक विभाग है।	1. जिला शिक्षा अधिकारी 1. क इस कार्यक्रम के लिए नोडल विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी (जहां स्कूल शिक्षा के अलावा यह एक विभाग है।)	2. ब्लाक शिक्षा अधिकारी 1. क इस कार्यक्रम के लिए नोडल विभाग का ब्लाक स्तर का अधिकारी (जहां स्कूल शिक्षा के अलावा यह एक विभाग है)
		2. वित्त सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय	2. मुख्य निजी सचिव/सचिव वित्त विभाग	–	–
		3. सलाहकार (शिक्षा), योजना आयोग	3. मुख्य निजी सचिव, योजना आयोग	–	–
		4. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	4. मुख्य निजी सचिव/सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2. सिविल सर्जन/जिला चिकित्सा अधिकारी	2. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पी एच सी
		5. संयुक्त सचिव खाद्यान्न और जन वितरण मंत्रालय	5. मुख्य निजी सचिव/सचिव, खाद्यान्न और नागरिक आपूर्ति	3. जिला खाद्यान्न और सिविल आपूर्ति अधिकारी	3. खाद्यान्न विभाग का ब्लाक/उप प्रभागीय स्तर का अधिकारी
		6. संयुक्त सचिव, महिला और बाल विकास विभाग (पोषण प्रभारी)	6. मुख्य निजी सचिव/सचिव, महिला और बाल विकास विभाग	4. भारतीय खाद्यान्न निगम का जिला स्तर का अधिकारी	भारतीय खाद्यान्न निगम का ब्लाक/उप प्रभागीय स्तर का अधिकारी
		7. संयुक्त सचिव i) ग्रामीण विकास ii) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	7. मुख्य निजी सचिव/सचिव i) ग्रामीण विकास ii) शहरी विकास और गरीबी उपशमन	5. i) सीईओ, जिला पंचायत ii) नगर निगम निकाय/ एमपीएल प्रशासनिक विभाग	5. i) सीईओ ब्लाक पंचायत ii) एमपीएल निकाय का एक प्रतिनिधि

		8. प्रबन्धक निदेशक, भारतीय खाद्यान्न निगम या उनका प्रतिनिधि	8. भारतीय खाद्यान्न निगम का राज्य स्तर का अधिकारी	6. भारतीय खाद्यान्न निगम का जिला स्तरीय अधिकारी	6. भारतीय खाद्यान्न निगम का ब्लाक/उप प्रभागीय स्तर का अधिकारी
3.	अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले अन्य सदस्य	1. पोषण के क्षेत्र में दो विशेषज्ञ 2. चार व्यक्ति जिसमें दो कम से कम महिला हो जिनका पोषण/बाल कल्याण समुदाय/महिला भागेदारी/स्कूल शिक्षा/बाल स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान/उपलब्धि 3. पांच राज्य सरकारों के प्रतिनिधि (प्रत्येक क्षेत्र से एक) 4. अध्यापको का कम से कम एक प्रतिनिधि	1. पोषण के क्षेत्र में दो विशेषज्ञ 2. चार व्यक्ति जिसमें दो कम से कम महिला हो जिनका पोषण/बाल कल्याण समुदाय/ महिला भागेदारी/ स्कूल शिक्षा/बाल स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान/ उपलब्धि 3. 3-5 जिला के प्रतिनिधि 4. अध्यापकों का कम से कम एक प्रतिनिधि	1. पोषण के क्षेत्र में दो विशेषज्ञ 2. चार व्यक्ति जिसमे दो कम से कम महिला हो जिनका पोषण/बाल कल्याण समुदाय/ महिला भागेदारी/ स्कूल शिक्षा/बाल स्वास्थ में महत्वपूर्ण योगदान/ उपलब्धि 3. 3-5 ब्लाको/ नगर निगम निकाय के प्रतिनिधि	1. पोषण के क्षेत्र में दो विशेषज्ञ 2. चार व्यक्ति जिसमें दो कम से कम महिला हों जिनका पोषण/बाल कल्याण समुदाय/ महिला भागेदारी/ स्कूल शिक्षा/बाल स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान/उपलब्धि 3. 3-5 ग्राम पंचातयों के प्रतिनिधि 4. अध्यापकों का कम से कम एक प्रतिनिधि
4.	सदस्य सचिव	प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में कार्यक्रम के उप सचिव/प्रभारी निदेशक	कार्यक्रम के नोडल विभाग का राज्य स्तरीय अध्यक्ष	नोडल विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी	नोडल विभाग के ब्लॉक/उप प्रभागीय स्तरीय अधिकारी

टिप्पणी : 1. उपयुक्त सुझाई गई सदस्यता के अतिरिक्त राज्य सरकारें राज्य तथा जिला स्तरीय एम एम सी में संसद सदस्यों और विधायकों को भी नामित करेंगी।

2. श्रेणी 3 की उपश्रेणी (1) और (2) के अधीन राज्य स्तरीय एमएमसी में नामित किए जाने वाले छ व्यक्तियों में से एक व्यक्ति, जहां तक संभव होगा, राज्य/संघ शासित राजधानी में तैनात खाद्य एंव पोषण बोर्ड, भारत सरकार के वरिष्ठतम अधिकारी होंगे। अन्य विशेषज्ञ निम्नलिखित संस्थाओं से लिए जा सकते हैं।

i. राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबार

ii. भारतीय पोषण प्रतिष्ठान

iii. राष्ट्रीय जन सहयोग तथा बाल विकास संस्थान नई दिल्ली

iv. अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता

v. विश्वविद्यालय विभाग/पोषण संकाय (जहां भी स्थित हो)

संलग्नक –XII
(संदर्भः पैरा 4.3)

पोष्टिक तथा सस्ते मध्याह्न भोजन को तैयार करने के लिए कुछ सुझाव

- खाद्यान्न को सीलन से बचाने के लिए उन्हें सील बन्द डिब्बों में रखना चाहिए ताकि उसमें कीट–मकोड़े न हो पाएं।
- मध्याह्न भोजन तैयार करने के लिए गेंहू या दलिए का प्रयोग किया जाए
- चावल उबले हुए या बिना पॉलिश के होने चाहिए।
- दलिए या चावल का प्रयोग करते हुए 'संगल डिश मील' तैयार करना तथा इसमें थोडी दाल या सायाबीन या मौसमी सब्जी/हरी पत्तेदार सब्जी तथा थोड़े से खाद्यान्न तेल का प्रयोग करें तो इसके पोष्टिक होने के साथ–साथ इससे समय एवं ईंधन की भी बचत होगी। दलिए से पुलाव, हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करते हुए खिचड़ी, उपमा, दाल–सब्जी भात आदि कुछ सिंगल डिश मील के उदाहरण हैं।
- अच्छी, कोटि के प्रोटीन के लिए अनाज और दाल का मिश्रण आवश्यक है। अनाज दाल का अनुपात 3:1 से 5:1 हो सकता है।
- अंकुरित दालों के अधिक पोषक तत्व होते हैं तथा इनका सिंगल डिश मील में प्रयोग किया जाना चाहिए।
- किसी भी खाद्यान्न में यदि पत्तेदार सब्जियां डाली जाती हैं तो उन्हें काटने से पहले ठीक प्रकार से धोना चाहिए तथा उन्हें काटने के बाद नहीं धोना चाहिए।
- चावल, दाल, चने आदि को भिगोने से पकने में कम समय लगेगा। अनाज को अच्छी तरह से धोना चाहिए तथा उसे केवल पकाने हेतु आवश्यक पानी में ही भिगोना चाहिए।
- यदि दाल चावल अलग–अलग पकाने के पश्चात चावलों में पानी बचता है तो उसे दाल में मिला देना चाहिए तथा उसे फेंकना नहीं चाहिए।
- खमीर से पौष्टिक तत्व बढ़ते हैं अतः इडली, डोसा, ढोकला आदि बनाने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- पोष्टिक तत्व नष्ट न हो इससे बचने के लिए खाना ढक कर बनाना चाहिए।
- खाना अधिक देर तक नही पकाना चाहिए।
- तलने के लिए प्रयोग किए गए तेल को दुबारा गर्म करना नुकसान दायक है तथा इससे बचना चाहिए।
- गाजर, मूली, शलगम आदि के पत्तों को फेंकना नहीं चाहिए बल्कि इनका प्रयोग मध्याह्न भोजन तैयार करने में करना चाहिए।
- मध्याह्न भोजन पकाने के लिए केवल 'आयोडायेज नमक' का प्रयोग किया जाना चाहिए।

प्रपत्र–I

(संदर्भ : पैरा 3.5.5)

.....सरकार

.....

.....विभाग

सेवा में,

सचिव,
प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन
नई दिल्ली

विषय : प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम 2004 के तहत वित्तीय वर्ष.....के लिए निःशुल्क अनाज के आवंटन हेतु अनुरोध।

उपर्युक्त के संदर्भ में यह राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन वित्तीय वर्ष .....के लिए प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम, 2004 के तहत इस हेतु परिचालित दिशा–निर्देशों के अनुसार निःशुल्क अनाज के रूप में केंद्रीय सहायता की मांग करती/करता है। इस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पका हुआ भोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

1. पात्र प्राथमिक स्तरीय संस्थाओं की संख्या और नामांकन

	संस्था का प्रकार	संख्या	नामांकन	
			विगत वर्ष के 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार वास्तविक	आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्याशित
1.	प्राथमिक स्कूल i) सरकारी i) स्थानीय निकायों के iii) सरकारी सहायता–प्राप्त			
	उप–जोड़ (1)			
2.	प्राथमिक स्तर के शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केंद्र i) शिक्षा गारंटी योजना केंद्र ii) वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केंद्र			
	उप जोड़ (2)			
3.	**कुल (1+2)**			
4.	उपर्युक्त (3) में से मदरसों/मकतबों के संबंध में आंकड़े			

2. आगामी वित्तीय वर्ष* में कार्यदिवसों की माहवार संख्या

	माह	कार्यदिवसों की संख्या	
		प्राथमिक स्कूल और शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र	वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्र
1.	अप्रैल		
2.	मई		
3.	जून		
4.	जुलाई		
5.	अगस्त		
6.	सितम्बर		
7.	अक्तूबर		
8.	नवम्बर		
9.	दिसम्वर		
10.	जनवरी		
11.	फरवरी		
12.	मार्च		

* कार्य दिवसों की संख्या के संबंध में सहायक ब्यौरा परिशिष्ट–। में दिया गया है।

3. 2004–2005 के दौरान राज्य सरकार द्वारा अनुमानित प्रतिशत में बच्चों की औसत उपस्थिति दरः..... %
(यदि अनुमानित उपस्थिति दर 80 प्रतिशत से अधिक है तो कृपा ऐसे अनुमान के लिए अधार का पूर्ण ब्यौरा दें।

4. आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनाज के लिए केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता

		गेहूं	चावल
i)	प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए	.....क्विंटल	.....क्विंटल
ii)	क. शिक्षा गारंटी योजना केंद्रों के बच्चों के लिए	.....क्विंटल	.....क्विंटल
	ख. वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा केंद्रों के बच्चों के लिए	.....क्विंटल	.....क्विंटल
	उप जोड (I I)	.....क्विंटल	.....क्विंटल
iii)	कुल (I+II)	.....क्विंटल	.....क्विंटल

ऊपर अनुमानित मांगो के संबंध में सहायक व्यौरा परिशिष्ट–2 में दिया गया है। अनुरोध है कि प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम, 2004 के तहत वित्तीय वर्ष.....के लिए ऊपर उल्लिखित मात्रा में अनाज आवंटित किया जाए।

दिनांक.....

(हस्ताक्षर)
सचिव, नोडल विभाग
.....सरकार/संघ
राज्य क्षेत्र प्रशासन
मुहरः

प्रपत्र – I का परिशिष्ठ I

................................सरकार
...................................विभाग

I. स्कूलों और शिक्षा गारंटी योजना केंद्रों के लिए वित्तीय वर्ष..................... में प्रत्याशित कार्य दिवस

क्र सं.	माह	माह में कुल दिवस	अवकाश दिवस	छुट्टियाँ घटाऐं				प्रत्याशित कार्य दिवसों की सं (3-8)	टिप्पणियाँ
				अवकाश अवधि के अलावा छुट्टियाँ			कुल छुट्टियाँ (4+7)		
				रविवार	अन्य स्कूल छुट्टियां	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अप्रैल	30							
2.	मई	31							
3.	जून	30							
4.	जुलाई	31							
5.	अगस्त	31							
6.	सितम्बर	30							
7.	अक्तूबर	31							
8.	नवम्बर	30							
9.	दिसम्वर	31							
10.	जनवरी	31							
11.	फरवरी	28/29							
12.	मार्च	31							
	कुल	365							

II. सितम्बर, 2004 और अप्रैल, 2005 के बीच प्रति वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केंन्द्र औसत कार्य दिवसों की प्रत्याशित संख्या।

दिनांक...........................

(हस्ताक्षर)
सचिव, नोडल विभाग
..............................सरकार/संघ
राज्य क्षेत्र प्रशासन
मुहरः

प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम, 2004 के तहत वित्तीय वर्ष.....के लिए अनाज की जिलावर आवश्यकता

(अनाज की क्विंटल में मात्रा)

क्र.स.	जिला	नामांकन				आगामी वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कार्य दिवस		अनुमानित औसत उपस्थिति दर (प्रतिशत में)	वित्तीय वर्ष हेतु अनाज की कुल आवश्यकता {(4क x5क) + (4ख x5ख) x कॉलम6/100x0.001}	जिले के लिए अनाज की कुल आवश्यकता में से प्रतिशत आवश्यकता		अनाज की अपेक्षित मात्रा		टिप्पणियाँ
		विगत वर्ष के 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार वास्तविक		आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्याशित		प्राथमिक स्कूल +शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र	वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्र			गेहू	चावल	गेहू	चावल	
		प्राथमिक स्कूल+शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र	वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा	प्राथमिक स्कूल+शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र	वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्र									
(1)	(2)	(3क)	(3ख)	(4क)	(4ख)	(5क)	(5ख)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	1													
2	2													
3	3													
4	4													
.	.													
.	.													
.	.													
	कुल													

दिनांक.....

(हस्ताक्षर)
सचिव, नोडल विभाग
.....सरकार / संघ
राज्य क्षेत्र प्रशासन

मुहरः

प्रपत्र –II

(संदर्भ : पैरा 5.1)

प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम, 2004 (मध्याह्न योजना) खाद्यान्न के माहवार उठान की रिपोर्ट (आगामी माह की 15 तारीख तक प्रस्तुत की जाए)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रः

माह .....के लिए रिपोर्ट

वर्षः

क्र.स.	जिला	खाद्यान्न की मात्रा (क्विंटल में)											
		वित्तीय वर्ष के लिए आवंटन			वित्तीय वर्ष के दौरान उठान								
		गेहूं	चावल	कुल	गेहूं			चावल			कुल खाद्यान्न		
					गत माह तक	माह के दौरान	प्रगामी योग	गत माह तक	माह के दौरान	प्रगामी योग	गत माह तक	माह के दौरान	प्रगामी योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
राज्य के लिए कुल													

दिनांक.....

(हस्ताक्षर)

सचिव, नोडल विभाग

.....सरकार / संघ

राज्य क्षेत्र प्रशासन

मुहरः

प्रपत्र – III
(संदर्भः पैरा 5.1)

.....सरकार
.....
.....विभाग

सेवा में,
सचिव
प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन
नई दिल्ली

विषयः– प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यकम, 2004 के तहत खाद्यान्न के परिवहन पर किए गए खर्चे की प्रतिपूर्ति हेतु अनुरोध

उपर्युक्त के संदर्भ में, प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम, 2004 के तहत खाद्यान्न के परिवहन पर पहले से किए गए खर्चे की प्रतिपूर्ति हेतु निम्नानुसार दावा प्रस्तुत हैः–

1. राज्य नोडल परिवहन एजेंसी /विभाग का नाम और पता :
2. बैंक खाते का ब्यौरा
   (i) खाता संख्या :
   (ii) बैंक का नाम :
   (iii) बैंक का पता :
   (iv) बैंक परिक्षेत्र संख्या :
3. तिमाही, जिससे दावा संबंधित है :
4. परिवहन किए गए खाद्यान्न का ब्यौरा और किया गया वास्तविक खर्च :

क्र.स.	जिला	तिमाही के दौरान परिवहन किए गए अनाज की मात्रा (क्विंटल में)	किया गया वास्तविक खर्च (रूपये में)	कुल
कुल				

(रूपए शब्दों में):

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्तानुसार भारतीय खाद्य निगम के निकटतम गोदाम से उठाए गए और स्कूल/किचन सेंटर तक ले जाए गए खाद्यान्न की मात्रा और वास्तविक रूप से खर्च की गई राशि रिकार्ड के अनुसार सही है।

3. अनुरोध है कि ऊपर पैरा 1 में उल्लिखित राशि की प्रतिपूर्ति इस संगठन को कर दी जाए।

दिनांक.....

हस्ताक्षर
(राज्य नोडल अधिकारी अथवा पदनामित
राज्य नोडल परिवहन एजेंसी)

मोहरः

प्रपत्र – IV
(संदर्भः पैरा 5.2)

.....सरकार
.....
.....विभाग

सेवा में,

सचिव
प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन
नई दिल्ली

विषयः– एन.पी.–एन.एस.पी.ई., 2004 के अंतर्गत भोजन पकाने पर होने वाले खर्च को पूरा करने हेतु केन्द्रीय सहायता की प्रथम किस्त जारी करने का अनुरोध।

संदर्भ– । दिनांक 3.12.2004 को लिख गया आपका अ.शा. पत्र संख्या 1(2)/2004–डेस्क (एफ.डी.एम.)।

उपरोल्लिखित के संदर्भ में, यह राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन कार्यक्रम के केन्द्रीय दिशा-निर्देशों के आधार पर एन.पी.–एन.एस.पी.ई., 2004 के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता की मांग करता है। राज्य में पके–पकाए भोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन संबंधी ब्यौरे इस प्रकार हैंः–

1. पात्र प्राथमिक–स्तरीय संस्थाओं की संख्या और नामांकन

	संस्थान का प्रकार	संख्या नामांकन	(30.09.04 की स्थिति के अनुसार)
	प्राथमिक विद्यालय i) सरकारी ii) स्थानीय निकाय iii) सरकारी सहायता प्राप्त		
	उप योग (1)		
2.	प्राथमिक स्तर के ई.जी.एम./ ए.आई.ई. केन्द्र i) ई.जी.एम. केन्द्र ii) ए.आई.ई. केन्द्र		
	उप योग (2)		
3.	योग (1+2)		

2. दिनांक 01.09.04 और 30.04.05 के बीच कार्यदिवसों की माह-वार संख्या

	माह	कार्यदिवसों की संख्या	
		प्राथमिक स्कूल और ई.जी.एस. केन्द्र (जैसा कि परिशिष्ट के कॉलम 9 में दर्शाया गया है)	ए.आई.ई. केन्द्र (जैसा कि परिशिष्ट के मद-II में दर्शाया गया है।
1.	सितम्बर, 2004		
2.	अक्टूबर, 2004		
3.	नवम्बर, 2004		
4.	दिसम्बर, 2004		
5.	जनवरी, 2005		
6.	फरवरी, 2005		
7.	मार्च, 2005		
8.	अप्रैल, 2005		
	कार्यदिवसों की कुल संख्या		

*विद्यालय दिवसों की संख्या के संबंध में समर्थन करने वाले ब्यौरे परिशिष्ट में दिए गए हैं।

3. पके हुए मध्याह्न भोजन के निरंतर आपूर्ति के अनुसार संस्थाओं और नामांकन का ब्यौरा

क्रं. सं.	पके हुए मध्याह्न भोजन की निरंन्तर आपूर्ति की तारीख	उन संस्थाओं की संख्या जिन्होंने कालम 2 में उल्लिखित तिथि से पके-पकाए मध्याह्न भोजन की निरन्तर आपूर्ति की शुरूआत की।			कॉलम 3क-3 ग में उल्लिखित संस्थाओं का नामांकन		दिनांक 1.9.04 30:04.05 के मध्य कार्यदिवसों की संख्या		बाल दिवसों की संख्या (4क x 5क + 4ख x 5ख)
		प्राथमिक विद्यालय	ई.जी.एम केन्द्र	ए.आई.ई. केन्द्र	प्राथमिक विधालय और ई.जी. एस. केन्द्र	ए. आई. ई. केन्द्र	प्राथमिक विधालय और ई.जी. एस. केन्द्र	ए. आई.ई केन्द्र	
(1)	(2)	(3क)	(3ख)	(3ग)	(4क)	(4ख)	(5क)	(5ख)	(6)
1.	1.09.2004								
2.									
3.									
4.									
5.									
.									
.									
	1.1.2005								
	कुल								

4. दिनांक 1.09.04–30.04.05 के दौरान राज्य सरकार द्वारा अनुमानित औसत उपस्थिति दर का प्रतिशत :–.....:।

(यदि अनुमानित उपस्थिति दर 80 प्रतिशत से अधिक है, तो कृपया इस प्रकार के अनुमान के आधार पर पूरा ब्यौरा दें)

5. राज्य सरकार द्वारा अपने बजट में पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए किया गया प्रावधान :–

वर्ष	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए प्रावधान					
	बजट अनुमान			संशोधित अनुमान		
	योजनागत	योजनेतर	कुल	योजनागत	योजनेतर	कुल
2002–03						
2003–04						
2004–05						

यदि 2004–05 के लिए प्रावधान पिछले किन्हीं दो वर्षों से कम हैं, तो कृपया कारण बताएं :–

6. दिनांक 01.09.04 – 30.04.05 के दौरान भोजन पकाने संबंधी लागत को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता :–

= (मद 3 में दर्शाए गए बाल दिवसों की कुल संख्या और) x (मद 4 में दर्शाया गया ए.ए.आर.)

= .....लाख रुपए

2. अनुरोध है कि उपरोलिखित राशि को कृपया केन्द्रीय सहायता के रूप में जारी किया जाए।

3. राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन एतद् द्वारा घोषणा करते हैं कि 1.9.04 से भोजन पकाने की लागत की पूर्ति के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सहायता को ध्यान में रखते हुए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के 2004–05 के बजट अनुमानों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु किए गए प्रावधान में कोई कटौती नहीं की जाएगी और न ही इस प्रावधान को किसी अन्य कार्यक्रम/उद्देश्य के लिए पुनःविर्नियोजित/परिवर्तित करेगी तथा इसका उपयोग एन.पी–एन.एस.पी. ई., 2004 के दिशा–निर्देशों के पैरा 4.8 में वर्णित तरीके से करेगी।

दिनांक : .....

हस्ताक्षर
नोडल विभाग के सचिव
.....सचिव/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन
मुहर

फार्म–IV का परिशिष्ट

.....सरकार

.....विभाग

1. सितम्बर, 2004 और अप्रैल, 2005 के दौरान विद्यालयों और ई.जी.एस. केन्द्रों में अनुमानित कार्य दिवस।

क्रं. सं0	माह	महीने में कुल दिनों की संख्या	घटाए गई छुट्टियाँ					अनुमानित दिवसों की संख्या (3–8)	टिप्पणियाँ
			अवकाश के दिन	छुट्टियों की अवधि के अतिरिक्त अवकाश			कुल अवकाश (4+7)		
				रविवार	अन्य स्कूली छुट्टियाँ	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	सितम्बर, 2004	30							
2.	अक्टूबर, 2004	31							
3.	नवम्बर, 2004	30							
4.	दिसम्बर, 2004	31							
5.	जनवरी, 2005	31							
6.	फरवरी, 2005	28							
7.	मार्च, 2005	31							
8.	अप्रैल, 2005	30							
	कुल	241							

II- सितम्बर, 2004 और अप्रैल, 2005 के दौरान ए.आई.ई. केन्द्रों में अनुमानित कार्यदिवस ।

दिनांक : .....

हस्ताक्षर

नोडल विभाग के सचिव

.....सचिव/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन

मुहर

फार्म–V
(संदर्भ : पैरा 5.4)

.....सरकार
.....विभाग

सेवा में,

सचिव,
प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

विषय : वर्ष.....के ग्रीष्मावकाश के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पके–पकाए मध्याह्न भोजन की आपूर्ति हेतु केन्द्रीय सहायता के लिए निवेदन।

आपको यह सूचित किया जाता है कि इस राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के कुछ क्षेत्रों को सूखा–प्रभावित घोषित किया है और यह राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषाहार योजना, 2004 के दिशा–निर्देशों के आधार पर, वर्ष.....के ग्रीष्मावकाश के दौरान घोषित क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक विद्यालयों और ई.जी.एस/ए.आई.ई. केन्द्रों में पका–पकाया मध्याह्न भोजन की आपूर्ति हेतु केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने की इच्छुक है। ब्यौरा इस प्रकार है :–

1. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र :
2. राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा सूखा–प्रभावित क्षेत्र घोषित किए जाने की अधिसूचना(ओं) का विवरणः

क्रं सं	अधिसूचना का विवरण		सूखा प्रभावित घोषित किए गए गावों की संख्या
	संख्या	दिनांक	
1.			
2.			
		कुल	

फार्म–VI
(संदर्भ : पैरा 6)

एन.पी.–एन.एस.पी.ई., 2004 (मध्याह्न भोजन स्कीम) के अन्तर्गत तिमाही प्रगति रिपोर्ट

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रः

तिमाही रिपोर्ट का माहः जनवरी–मार्च/अप्रैल–जून/जुलाई–सितम्बर/अक्तूबर–दिसम्बर

वर्ष :

भाग–1 : प्राथमिक विद्यालयों, ई.जी.एस./ए.आई.ई केन्द्रों और बच्चों को शामिल करना

क्रं सं	संस्था का प्रकार जिसमें कार्यक्रम लागू किया गया	संस्थाओं की संख्या जिनमें कार्यक्रम को निम्नलिखित के दौरान लागू किया गया		तिमाही मे कार्यदिवसों की संख्या		प्रत्येक दिवस बच्चे की संख्या जिन्हें मध्याह्न भोजन प्रदान किया गया	
		पिछली तिमाही	समीक्षाधीन तिमाही	पिछली तिमाही	समीक्षाधीन तिमाही	पिछली तिमाही	समीक्षाधीन तिमाही
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	प्राथमिक विद्यालय i) सरकारी i) स्थानीय निकाय iii) सरकारी सहायता प्राप्त						
	उप–योग (1)						
2.	प्राथमिक स्तर के ई.जी.एम./ए.आई.ई. केन्द्र i) ई. जी. एस. केन्द्र ii) ए. आई. ई. केन्द्र						
	उप–योग (2)						
3.	योग (1+2)						
4.	उल्लिखित (3) में से, मदरसों/मकतबों के संबंध में आंकड़े						

भाग–II: कार्यक्रम के लिए मूलभूत सुविधाओं के प्रावधान की प्रगति

क्रं स.	संस्था जिसमें कार्यक्रम कार्यान्वित हुआ	संस्थाओं की संख्या जिसमें तिमाही के दौरान कार्यक्रम कार्यान्वित हुआ	कॉलम 3 में कुल संस्थाओं में से विभिन्न मूलभूत सुविधाओं वाली संस्थाओं की संख्या											
			रसोई			पेजल सुविधा			पर्याप्त पाक और परोसने वाले बर्तन			गैस आधारित पाक		
			पिछली तिमाही तक	समीक्षा–धीन तिमाही के दौरान निर्मित	उतरोत्तर योग	पिछली तिमाही तक	समीक्षा–धीन तिमाही के दौरान निर्मित	उतरोत्तर योग	पिछली तिमाही तक	समीक्षा–धीन तिमाही के दौरान आपूर्ति किए गए	उतरोत्तर योग	पिछली तिमाही तक	समीक्षा–धीन तिमाही के दौरान प्रदान किए गए	उतरो–त्तर योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	प्राथमिक विद्यालय i) सरकारी i) स्थानीय निकाय iii) सरकारी सहायता प्राप्त उप–योग (1)													
2.	ईजीएस केन्द्र													
3.	योग (1+2)													
4.	उपरोक्त कुल (3) में से, मदरसों/मकतबों के संबंध की संख्या													

भाग–III: भोजन पकाने की व्यवस्था

क्रं सं	संस्था, जिसमें कार्यक्रम कार्यान्वित हुआ	संस्थाओं की संख्या जिसमें कार्यान्वयन हुआ	पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने वाली एजेन्सी					टिप्पणियां
			महिलाओं की एसएच.जी	युवा क्लब	वीईसी/ पीटीए/ एसएमडीसी	स्थानीय निकाय (ग्राम पंचायत/ निगम)	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्राथमिक विद्यालय i) सरकारी i) स्थानीय निकाय iii) सरकारी सहायता प्राप्त							
	उप–योग (1)							
2.	प्राथमिक स्तर के ईजीएम/एआईई केन्द्र i) ईजीएस केन्द्र ii) एआईई केन्द्र							
	उप–योग (2)							
3.	योग (1+2)							
4.	उपरोक्त कुल (3) में से, मदरसों/मकतबों के आँकड़े							

भाग–IV: खाद्यान्नों की कुल खरीद की प्रगति

(क्विंटल में)

क्रं0सं0	मद	गेहूँ	चावल	कुल
1.	वित्तीय वर्ष के लिए आबंटन			
2.	खरीद i) वित्तीय वर्ष की पिछली तिमाही के अन्त तक ii) समीक्षाधीन तिमाही के दौरान iii) उत्तरोत्तर समीक्षा योग (I+II)			
3.	पिछले वित्तीय वर्ष के अनुरूप तिमाही तक कुल खरीद का उत्तरोत्तर योग			
4.	प्रमुख विसंगति के कारण, यदि कोई हो			

भाग–V: भोजन पकाने की लागत तथा प्रबन्धन, अनुवीक्षण और मूल्यांकन (एमसीडी) के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के उपयोग की प्रगति

क्रं0	केन्द्रीय सहायता का स्वरूप	वित्तीय वर्ष की शुरू–आत में शेष बकाया	वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त राशि			कालम 3X6 योग	वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय			तिमाही के अन्त में खर्च न किया गया कुल बकाया	टिप्पणी
			पिछली तिमाही के अन्त तक	तिमाही दौरान	कुल		पिछली तिमाही के अन्त तक	तिमाही के दौरान	उतरोत्तर योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	भोजन पकाने की लागत हेतु सहायता										
2.	एमएमई हेतु सहायता										
3.	ग्रीष्म अवकाश के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु सहायता										
4.	कुल (1+2+3)										

भाग–VI: अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन

(क) राज्य स्तरीय संचान सह अनुवीक्षण समिति (एसएसएमसी) की बैठकें

1. एसएसएमसी के गठन की तिथिः
2. क्या तिमाही के दौरान एसएसएमसी की कोई बैठक हुईः
3. यदि हाँ, तो महत्वपूर्ण निर्णयों का सारः–
4. क्रम संख्या 2 में उल्लिखित बैठक से पहले हुई अन्तिम बैठक की तारीखः–

(ख) तिमाही के दौरान सामने आई मुख्य समस्याएं/आवंछित घटनाएँ, यदि कोई हो तो

तिमाही के दौरान कार्यक्रम से संबंधित यदि कोई दुर्घटना घटी हो अथवा कोई बडी समस्या आयी हो तो कृपया ब्यौरा दें (की गई कार्यवाही सहित):–

(ग) तिमाही के दौरान सौंपे गये प्रभाव/मूल्यांकन अध्ययन, यदि कोई हो तो

संस्थान/एजेंसी जिसे सौंपा गया	अध्ययन के उद्देश्य	क्षेत्र, जहाँ अध्ययन किया जायेगा	सौंपे जाने की तारीख	रिपोर्ट प्राप्ति की समय–सीमा

(घ) तिमाही के दौरान प्राप्त प्रभाव/मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष, यदि कोई हो तो

क्षेत्र, जहाँ अध्ययन किया गया	वह महीना जिसमें अध्ययन किया गया तथा रिपोर्ट की तारीख	निष्कर्षों का सार	निष्कर्षों पर की गई कार्यवाही

भाग–VII: ग्रीष्म अवकाश के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कार्यक्रम का कार्यान्वयन (केवल प्रथम तिमाही, अप्रैल–जून हेतु उपलब्ध कराने के लिए और केवल तभी जब राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का कुछ भाग सूखा प्रभावित घोषित किया गया हो।)

क्रं0 सं0	उस जिले का नाम जो पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से सुखा प्रभावित घोषित किया गया था	सूखा प्रभावित घोषित गांवों की संख्या	सूखा घोषित गांवों में कक्षा I-V के बच्चों की संख्या जिन्हें वास्तव में पकाया हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया गया			ग्रीष्म अवकाश के उन दिनों की संख्या जिसके दौरान पकाया हुआ मध्याह्न भोजन वास्तव मे उपलब्ध कराया गया	टिप्पणी
			प्राथमिक विद्यालय/ईजीएस केन्द्र	एआईई केन्द्र	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
	कुल						

दिनांक.....

हस्ताक्षर

सचिव, नोडल विभाग

.....सरकार/संघ राज्य प्रशासन

मोहर

प्रपत्र–VII
(संदर्भ : पैरा 7)

.....सरकार/.....संघ राज्य प्रशासन
.....विभाग

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान उठाए गए खाद्यान्नों के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नामः

वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रमाणपत्रः

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित वित्तीय वर्ष के दौरान 'राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषाहार सहायता' के अन्तर्गत राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उठाए गए खाद्यान्नों की मात्रा का इस प्रकार उपयोग किया गया :

(क्विंटल में)

1.	पिछले वित्तीय वर्ष के खाद्यान्नों की बकाया मात्रा	गेहूँ	चावल	कुल
2.	पिछले वित्तीय वर्ष के लिए आबंटित खाद्यान्नों की मात्राः i) नियमित कार्यक्रम हेतु मंत्रालय के पत्र सं..... दिनांक.....के द्वारा ii) ग्रीष्म अवकाश हेतु मंत्रालय के पत्र सं.....दिनांक..... के छात्र पिछले वित्त वर्ष के दौरान कुल आबंटन (I+II)			
3.	वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य नोडल परिवहन एजेंसी द्वारा उठाए गए खाद्यान्नों की मात्रा			
4.	वित्तीय वर्ष के दौरान उपलब्ध खाद्यान्नों की कुल मात्रा (1+3)			
5.	'राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषाहार सहायता कार्यक्रम' में शामिल पात्र बच्चों हेतु उपयोग किए गए खाद्यान्नों की मात्रा			
6.	वित्तीय वर्ष के समाप्ति पर उपलब्ध खाद्यान्नों की बकाया मात्रा			

दिनांक.....

हस्ताक्षर
सचिव, नोडल विभाग
.....सरकार/.....संघ राज्य प्रशासन
मोहरः

प्रपत्र–VIII
(संदर्भ : पैरा 7)

.....सरकार/.....संघ राज्य प्रशासन
.....विभाग

(I) भोजन पकाने की लागत, और (II) प्रबंधन, अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु प्राप्त केन्द्रीय सहायता के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष के आरंभ में बकाया राशि, वित्तीय वर्ष के दौरान 'राष्ट्रीय प्राथमिक पोषाहार सहायता कार्यक्रम, 2004 के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रीय सहायता, उसका उपयोग, तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में बकाया राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:–

क्रं0 सं0	केन्द्रीय सहायता का स्वरूप	वित्तीय वर्ष के आरंभ में बकाया राशि	वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त			कालम 3 और 6 का योग	वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया राशि	टिप्पणी
			भारत सरकार के संस्वीकृत पत्र की संख्या और तारीख	किस अवधि के लिए प्राप्त हुई	प्राप्त राधि (रू0 लाख में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	भोजन पकाने की लागत की पूर्ति के लिए सहायता		1. 2. .						
			कुल (1)						
2.	प्रबंधन, अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन के व्यय हेतु सहायता		1. 2. .						
			कुल (2)						

क्रं0 सं0	केन्द्रीय सहायता का स्वरूप	वित्तीय वर्ष के आरंभ में बकाया राशि	वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त			कालम 3 और 6 का योग	वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया राशि	टिप्पणी
			भारत सरकार के संस्वीकृत पत्र की संख्या और तारीख	किस अवधि के लिए प्राप्त हुई	प्राप्त राधि (रू0 लाख में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	ग्रीष्म अवकाश के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भोजन पकाने की लागत और प्रबंधन, अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए सहायता			1. 2. . .					
				कुल (3)					
4.	कुल (1.2 3)								

प्रमाणित किया जाता है कि कालम 8 में दर्शायी गई राधि उसी उद्देश्य के लिए उपयोग की गई, जिसके लिए वह संस्वीकृत की गई थी।

दिनांक.....

हस्ताक्षर

सचिव, नोडल विभाग

.....सरकार/.....संघ राज्य प्रशासन

मोहर